भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

19वीं वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

125 स्थान जहाँ भरें भा.वि.प्रा के संग उड़ान

125 Destinations to FLY with AAI

21 *अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे* (३ सिविल एन्क्लेव तथा ३ संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे) | International Airports (3 Civil Enclaves & 3 Joint Venture Airports)

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण •
125
हवाई अड्डो का प्रबंधनकर्ता

08 कस्टम हवाई अड्डे (४ सिविल एन्क्लेव) | Custom Airports (4 Civil Enclaves)

78 अन्तर्देशीय हवाई अड्डे | Domestic Airports

18 अन्य सिविल एन्क्लेव | Other Civil Enclaves

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India

उड़ानों का सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रभावी ढंग से प्रबंधन

Manages flights in a safe, secure and efficient manner

अत्याधुनिक हवाई अड्डो का विकास

Develops modern State-of-the-art infrastructure

उच्चतकनीक एयर–कार्गो टर्मिनलों का प्रबंधन

Manages Hi-tech Air Cargo terminals

विषय सूची

भा. वि. प्रा. बोर्ड के सदस्य	2
सदस्य रिपोर्ट	3
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अशक्त कार्मिकों की संख्या	23
वित्तीय स्थिति	24
कार्य निष्पादन की झलक	26
तुलन पत्र	28
लाभ एवं हानि लेखा का विवरण	29
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	30
लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक	61
वर्ष 2013–14 के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का लेखा	65

बोर्ड के सदस्य

आर.के. श्रीवास्तव
अध्यक्ष

एम. सत्यवती
महानिदेशक, नागर विमानन
एवं पदेन सदस्य

अरूण कुमार
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार,
नागर विमानन मंत्रालय

एस. रहेजा
सदस्य (योजना)

वी. सोमासुन्दरम
सदस्य (एएनएस)

जी. के. चौकियाल
सदस्य (प्रचालन)

एस. सुरेश
सदस्य (वित्त)

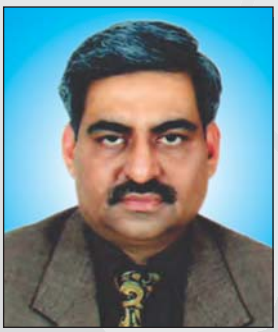

अनुज अग्रवाल
सदस्य (मानव संसाधन)

वर्ष 2013–14 की सदस्य रिपोर्ट

परिचय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 1 अप्रैल, 1995 को अस्तित्व में आया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भा.वि.प्रा. अधिनियम, 1994 के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप गठित किया गया। भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके देश के हवाई अड्डों पर विमान यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालनात्मक क्षेत्रों एवं कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्य में गति लाने के प्रयोजन से किया गया था। भा.वि.प्रा. एक मिनी रत्ना–श्रेणी 1 लोक उद्यम है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से है :–

- इकाओ द्वारा स्वीकृत देश की भौगोलिक सीमाओं से परे भारतीय वायु क्षेत्र (विशेष यूजर वायु क्षेत्र को छोड़कर) का नियन्त्रण एवं प्रबंध।
- संचार, दिक्चालन और निगरानी सुविधाओं का प्रावधान।
- धावनपथों, एप्रनों, टैक्सीपथों आदि प्रचालनात्मक क्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रचालनात्मक क्षेत्र में ग्राउंड आधारित लैंडिंग का प्रावधान और विमानों व वाहन यातायात के लिए मूवमेंट नियन्त्रण सुविधाओं का प्रावधान।
- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, प्रचालन और रख–रखाव।
- अन्तरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों का विकास एवं प्रबंध।
- यात्री टर्मिनलों में यात्री सुविधाओं और सूचना प्रणालियों का प्रावधान।

भा.वि.प्रा. 125 हवाई अड्डों का रख–रखाव करता है जिसमें 68 प्रचालनात्मक हवाई अड्डे, 26 सिविल एन्कलेव अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसे नियंत्रित हवाई अड्डे, जहां भा.वि.प्रा. सिविल उडान प्रचालन हैण्डल करता है एवं 31 गैर–प्रचालनात्मक हवाई अड्डे शामिल है। इसके अतिरिक्त भा.वि.प्रा., देश में सभी सिविल हवाई अड्डों पर सी एन एस/ए टी एम सुविधाएं प्रदान करता है। भा.वि.प्रा., चिह्नित भारतीय विमान एयरस्पेस 2.8 मिलियन वर्ग नाटिकल मील का प्रबंध करता है जिसमें 1.05 मिलियन वर्ग नाटिकल मील का भूमिक्षेत्र तथा 1.75 मिलियन वर्ग नाटिकल मील का महासागरीय क्षेत्र शामिल है । भा.वि.प्रा. द्वारा 9 अन्य हवाई अड्डों पर भी सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान की जाती है जिसे भा.वि.प्रा. द्वारा प्रबंधित नही किया जाता है यथा बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, लेंगपुई, दीऊ, लातुर, मुंदरा, नांदेड़ तथा सत्य साईं पुट्टापार्थी हवाई अड्डा, जो कि संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे एवं निजी हवाई अड्डे है।

वर्ष के दौरान संपन्न किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :–

➢ भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर नए एकीकृत घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण।

- रांची हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।
- गोवा हवाई अड्डे पर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।
- नागपुर हवाई अड्डे पर रनवे 14/32 की रिकारपेटिंग।
- बीकानेर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, एप्रन एवं कार पार्किंग का निर्माण।
- लखनऊ हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. की भूमि के चारों ओर प्रापर्टी दीवार का निर्माण।
- कडप्पा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण।
- पुदुचेरी हवाई अड्डे पर कार पार्किंग सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण।
- कडप्पा हवाई अड्डे का विकास ।
- इम्फाल हवाई अड्डे पर एकीकृत प्रचालन हेतु वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार तथा संशोधन।
- चण्डीगढ़ हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार तथा सहायक कार्य।
- गोंडिया हवाई अड्डे पर रनवे तथा समानांतर टैक्सीवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण।
- अमृतसर हवाई अड्डे पर रनवे 14 के प्रारंभ से टैक्सीवे एफ तक समानांतर टैक्सी ट्रैक (पीटीटी) का निर्माण।
- त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर दक्षिण ओर से वर्तमान घरेलू एप्रन साइड से एनआईटीबी तक पेरीमीटर रोड को चौड़ा करना तथा सुदृढ बनाना।
- मंगलोर हवाई अड्डे पर एटीसी टावर और तकनीकी खण्ड का निर्माण।
- जोरहाट हवाई अड्डे पर लिंक टैक्सीवे के प्रावधान सहित एप्रन का विस्तार।
- नागपुर हवाई अड्डे पर भारत रत्न डा. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का संस्थापन।
- वाराणसी हवाई अड्डे पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा का संस्थापन।

टिप्पणी:–

- चेन्नई, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर एवं गोवा (सीइ) एंक्लेव पर नए टर्मिनलों को चालू किया गया।
- भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 14.11.2013 द्वारा इम्फाल एवं भुवनेश्वर को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया।

2013–14 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियां

दूरस्थ क्षेत्रों में विमान संपर्क को बढ़ाने के लिए भा.वि.प्रा. विमानपत्तन अवसंरचना को विकसित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए विभिन्न कार्यों की शुरुआत की गई है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे

ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)

- राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2012 को होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति प्रदान की है।
- नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हेतु संचालन समिति से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भा.वि.प्रा. ने

31 अगस्त 2012 को नागर विमानन मंत्रालय को पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हेतु रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं ।

- डीपीआर तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन तैयार करने हेतु अभियांत्रिकी परामर्श का कार्यादेश दे दिया गया है।

पेक्यांग (सिक्किम)

- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण, जिसमें ए टी आर–72 प्रकार के विमान प्रचालन हो सके, ₹ 310 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रगति पर है । (मार्च, 2014) तक वास्तविक प्रगति 82% है। पी डी सी जून 2016 (पुर्नवास मामले पर स्थानीय लोगों द्वारा कार्य रोका गया)

अन्य हवाई अड्डे

अरूणाचल प्रदेश

तेजू

- ए टी आर 72– 500 प्रकार के विमान प्रचालन हेतु भा.वि.प्रा. को हवाई अड्डे के विकास, प्रचालन तथा रख–रखाव का कार्य सौंपा गया है।
- चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा पेवमेंट कार्य (धावनपथ, एप्रन, टैक्सी वे), टर्मिनल भवन तथा अनुषंगी भवन कार्य प्रगति पर है।
- मार्च, 2014 तक वास्तविक प्रगति 30% (लगभग) है तथा जून 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

असम

गुवाहाटी हवाई अड्डा

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विजन 2020 के अनुसार, गुवाहाटी को अंतर क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित किया जाना है । इस दिशा में एक ए–321 और चार एटीआर–72 प्रकार के विमानों को खड़ा करने हेतु 3 हैंगरों के निर्माण का कार्य ₹ 32 करोड़ की लागत से किया जा रहा है । मार्च 2014 तक वास्तविक प्रगति 79% है ।
- भा.वि.प्रा. तथा डीजीसीए / बीसीएएस कार्यालयों हेतु एकीकृत कार्यालय परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2014 तक वास्तविक प्रगति 40% है।
- मौजूदा टर्मिनल भवन सहित दो पीबीबीएस के विस्तार की योजना है ।

डिब्रुगढ

(अंतरक्षेत्रीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है)

विकास योजना

- धावनपथ को 6000 से 7500 तक विस्तारित किया जाना तथा आइसोलेशन वे। राज्य सरकार 32.5 एकड़ भारमुक्त भूमि सौंपने की प्रक्रिया में है।
- ए–321 विमान हेतु एक हैंगर के निर्माण हेतु डीपीआर अनुदान (अनुमानित राशि ₹ 21.43 करोड) हेतु एनईसी को प्रस्तुत की गई है।

मणिपुर

इम्फाल हवाई अड्डा

- अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों को संभालने हेतु मौजूदा

टर्मिनल भवन को एकीकृत टर्मिनल भवन बनाने हेतु ₹ 8 करोड़ की अनुमानित लागत से विस्तारित तथा आशोधित किया गया है। इम्फाल हवाई अड्डे को 14 नवंबर 2013 को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

- एप्रन (2 बे) का विस्तार तथा लिंक टैक्सी पथ (₹ 8 करोड़), एक नया अग्निशमन स्टेशन (₹ 5 करोड़), नव अधिग्रहित भूमि के चारों ओर चारदीवारी (₹ 15 करोड़) का कार्य प्रगति पर है ।
- ए 321/ए टी आर –72 विमानों हेतु एक हैंगर के निर्माण के लिए डी पी आर अनुदान (अनुमानित लागत– ₹ 24.67 करोड़) हेतु एन ई सी को प्रस्तुत गई है।

मेघालय

शिलॉग (बारापानी)

प्रगति पर कार्य

- नव अधिग्रहित भूमि पर चार दीवारी। ग्रामीणों को मुआवजा न दिए जाने के कारण अगस्त 2012 से कार्य रोक दिया गया। राज्य सरकार को मामले को सुलझाने हेतु अनुरोध किया गया है।

  योजनाबद्ध परियोजनाएं– ए–321 प्रकार के विमानों हेतु हवाई अड्डे का अपग्रेडेशन ।
- 4 बे हेतु एप्रन का विस्तार तथा 7500 फीट तक बढ़ाने हेतु धावन पथ का विस्तार एवं सुदृढीकरण। एप्रन तथा धावनपथ विस्तार हेतु डी पी सी अनुदान हेतु एन ई सी को सौंप दी गई है ।

त्रिपुरा

अगरतला (अंतर क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित किया जा रहा है)

- नए एकीकृत टर्मिनल भवन तथा अनुषंगी कार्यों का निर्माण कार्य। राज्य सरकार ने 72 एकड़ भूमि सौंप दी है। भा.वि.प्रा. ने योजना बनाई है तथा डी पी आर की तैयारी की जा रही है।
- एक हैंगर तथा ए–321 के लिए कनेक्टिड एप्रन हेतु डी पी आर अनुदान (अनुमानित राशि – ₹ 34.16 करोड़) हेतु एन ई सी को सौंप दी गई है ।

नोटः डिब्रुगढ, लीलाबारी एवं दीमापुर हवाई अड्डों पर रात्रि लैंडिंग प्रचालन डी जी सी ए द्वारा अनुमोदित।

विमानक्षेत्र लाइसेंसिंग

1. डीजीसीए द्वारा निम्नलिखित हवाई अड्डों हेतु 40 (चालीस) विमानक्षेत्र लाइसेंसों का नवीकरण किया है। खजुराहो, रांची, कोयम्बटूर, राजकोट, जयपुर, इम्फाल, तिरूपति, तूतीकोरिन, बारापानी, कालीकट, जबलपुर, हुबली, लीलाबाडी, अगरतला, सेलम, लखनऊ, देहरादून, राजमुंद्री, बेलगांव, वाराणसी, भावनगर, कांडला, सूरत, पंतनगर, कांगडा, गया, मंगलूर, पुदुचेरी, शिमला, विजयवाड़ा, अमृतसर, कुल्लू–मनाली, लुधियाना, अगाती, पोरबंदर, जुहू, तिरूवनन्तपुरम, चेन्नई, कोलकाता तथा अहमदाबाद।
2. तिमाही एटीआर, डीजीसीए निरीक्षण रिपोर्ट, सीए आर गैर–अनुपालना तथा डीजीसीए निगरानी निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि नियमित आधार पर डी जी सीए को प्रस्तुत की जा रही है ।
3. सफदरजंग, पटना, गोंदिया, कोल्हापुर तथा जलगांव हवाई अड्डों के सभी दस्तावेजों को विमानक्षेत्र लाइसेंस जारी करने हेतु डीजीसीए को प्रस्तुत किया

गया है। शोलापुर तथा कड़प्पा हवाई अड्डों की लाइसेंसिंग हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है ।

4. आज की तिथि तक 55 हवाई अड्डों को लाइसेंस मिल चुका है।

विमान दिक्चालन सेवाएं

दिक्चालन

मौजूदा के अलावा, 66 उपकरण अवतरण प्रणाली तथा 93 वीओआर/डीएमई जोकि विमान को दिक्चालन दिशा–निर्देश उपलब्ध कराते है, चार और आई एल एस दुर्गापुर, जबलपुर, बारापानी तथा कोचीन में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

मुंबई तथा त्रिची में आईएलएस को ट्रांस प्रतिष्ठापित कर दिया गया है तथा यह प्रचालन में है ।

लखनऊ में नए डीवीओ आरडीएमई प्रतिष्ठापित किया गया है तथा यह प्रचालन में हैं जिससे हवाई अड्डे की पहुंच में सुधार आया है ।

दिल्ली, वाराणसी, फुरसतगंज, शिमला, दुर्गापुर, त्रिची, गुवाहाटी, चेन्नई तथा दीमापुर में भी डी वी ओ आर लागू किए गए है।

कडप्पा में एन डी बी लागू किया गया है।

राडार

देशभर में 9 एम एस एस आर लागू करने के एक भाग के रूप में, सभी 9 स्थलों पर मोनोपल्स सैकण्डरी निगरानी राडार (एम एस एस आर) प्रतिष्ठापित किए गए तथा वे प्रचालनात्मक है। इन राडारो से सेंसर डाटा चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मुंबई तथा नागपुर आटोमेशन प्रणाली में एकीकृत होता है जिससे ओवरलेपिंग तथा निगरानी में वृद्धि होती है तथा यह विमान के सुरक्षित प्रचालन में योगदान देता है।

चेन्नई, बेल्लारी, विजाग, भोपाल, उदयपुर, कोलकाता, पोरबंदर, तथा झारसीगुडा में एम एस एस आर लगाए जा चुके हैं । कटिहार में सुविधा को आरंभ करने हेतु डी जी सी ए का अनुमोदन प्रगति पर है ।

देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 8 एएसआर/एमएसएसआर के प्रतिष्ठापन के एक भाग के रूप में कोचीन, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई तथा त्रिवेन्द्रम में प्रतिष्ठापन एवं स्थल मंजूरी टेस्ट पूर्ण हो चुका है ।

डीजीसीए के अनुमोदन के बाद कोचीन, त्रिवेन्द्रम तथा अहमदाबाद में एएसआर/एमएसएसआर आरंभ किया गया है । मुंबई हेतु अनुमोदन प्रतिक्षित है ।

कोचीन, कालीकट, त्रिवेन्द्रम के आस–पास जटिल वायुक्षेत्र में निगरानी क्षमताएं तथा क्षेत्र में सुरक्षित विमान प्रचालनों में वृद्धि की गई है। विमान यूजर प्रेफर्ड उड़ान प्रोफाइल तथा प्रत्यक्ष रूटिंग प्राप्त करेगा जिससे ईंधन की बचत होगी तथा उत्सर्जन में कमी आएगी, इसके अलावा ऑन–टाइम निष्पादन में भी सुधार आएगा।

एएसएमजीसीएस (एडवांस्ड सतही संचलन गाइडेंस तथा नियंत्रण प्रणाली)

खराब दृश्यता स्थिति में भूमि पर विमान के नियंत्रण तथा संचलन की मॉनीटरिंग करने हेतु सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर छह एडवांस्ड सतही संचलन गाइडेंस तथा नियंत्रण प्रणाली के प्रतिष्ठापन के अलावा, 5 और प्रणालियां अमृतसर, लखनऊ जयपुर, अहमदाबाद तथा जयपुर में लगाने की प्रक्रिया चल रही है ।

एडीएस–बी (आटोमेशन आधारित निगरानी–ब्राडकास्ट)

- एडीएस–बी (स्वचालित आधारित निगरानी – ब्राडकास्ट) प्रणाली जोकि राडार की तरह सेवाओं को सपोर्ट करता है 21 हवाई अड्डों (अगरतला, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद नागपुर, गुवाहाटी, कालीकट, कोचीन, कोयम्बटूर, मंगलूर, पोर्टब्लेयर, त्रिवेन्द्रम, भुवनेश्वर, पटना, त्रिची, डिब्रुगढ, विजयवाड़ा, जैसलमेर तथा श्रीनगर) में लागू की गई है। यह राडार को बैक–अप कवर उपलब्ध कराता है तथा एडीएस–बी मध्यम घनत्व वाले हवाई अड्डों (जहां रडार प्रतिष्ठापित नहीं है) पर विमान को प्रत्यक्ष रूटिंग उपलब्ध करवाता है जिससे इन हवाई अड्डों से अधिक संख्या में आगमन/प्रस्थान सुलभ किए जा सकते है।

गगन प्रमाणन

भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र के ऊपर आर एन पी 0.1 हेतु डीजीसीए द्वारा गगन प्रणाली का प्रमाणन किया गया।

रूट आप्टिमाइजेशन

पीबीएन–आरएनएवी। मानक अवतरण प्रस्थान रूट तथा आगमन रूट गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, जिससे विमान हेतु अधिकतम प्रस्थान तथा आगमनपथ की सुविधा सुलभ होती है तथा यह विमान प्रचालन की सुरक्षा में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त इससे पायलट तथा नियंत्रकों के कार्यभार में भी कमी आती है ।

चेन्नई तथा कोलकाता, चेन्नई तथा मुंबई, मुंबई तथा त्रिवेन्द्रम में आरएनएवी–5 एटीएस रूट लागू किए गए हैं। यह रूट उक्त मेट्रो के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध करवाता है जिससे उड़ान दूरी में बहुत कमी आती है इस रूट में उड़ान भर रहे विमान के बीच 50 एन एम की न्यूनतम पृथकता की कमी से विमान अपने प्रेफर्ड उड़ान प्रोफाइल को प्राप्त करता है, जिससे ईंधन में पर्याप्त बचत तथा उत्सर्जन में कमी आती है। इस पहल से वायुक्षेत्र क्षमता में भी वृद्धि होगी ।

अरूणाचल प्रदेश में हेलिकाप्टर रूटिंग सुविधा डिवीएफआर प्रचालन लागू किया गया है। हेलिकाप्टर रूटिंग, अरूणाचल प्रदेश के कई हैलिपैडों में संपर्क उपलब्ध कराने हेतु डिजाइन किए गए है। अरूणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यह रूट हेलिकाप्टर प्रचालन को सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

एटीएम आटोमेशन

मेट्रो तथा गैर–मेट्रो हवाई अड्डों पर एटीएम आटोमेशन प्रणाली से दक्षता पूर्ण तरीके से सुरक्षा तथा विमान यातायात की निगरानी में सुधार होता है। यह नियंत्रकों को एक टूल्स उपलब्ध कराता है जोकि इकाओ द्वारा निर्धारित विमान संरक्षा मानकों के उल्लंघन होने पर अलर्ट जारी करता है। यह प्रणाली, व्यस्त रूटों में विलंब तथा जाम में कमी लाती है।

भा.वि.प्रा. ने 38 हवाई अड्डों (मेट्रो हवाई अड्डों के अलावा) पर ए टी एम आटोमेशन प्रणाली लागू की है। यह संरक्षा तथा दक्षता बढ़ाने हेतु कंट्रोलरों को एडवांस्ड संरक्षा नेट, उपकरण तथा संरक्षा फीचर्स उपलब्ध करवाता है, कोलकाता में एडवांस्ड एटीएम प्रणाली के एस ए टी तथा प्रतिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो गया है।

मुंबई में नए नियंत्रण टावर पर सीएनएस –एटीएम सुविधाओं का ट्रांस–प्रतिष्ठापन पूर्ण हो गया है ।

प्रशिक्षण

नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय को गुणवत्ता

प्रबंधन प्रणाली, दस्तावेजीकरण, अवसंरचना तथा प्रशिक्षण प्रविधि के कड़े आक्कलन के बाद इकाओ द्वारा ट्रेन एयर प्लस की पूर्णकालिक सदस्यता मिली है। यह सदस्यता, गुणवता तथा मानक प्रशिक्षण के माध्यम से विमानन उद्योग की चुनौतियों का सामना करने हेतु अगली पीढ़ी के विमानन कार्मिकों को उच्च कोटि के प्रशिक्षण देने में एक बड़ी उपलब्धि है।

एकीकृत एटीसी सिमुलेटर

नवीन एकीकृत विमान यातायात सिमुलेटर चेन्नई तथा मुंबई में प्रतिष्ठापित किए गए हैं तथा इसे दिल्ली में नए ए टी एस परिसर में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। यह ए टी सी ओ के कौशल स्तर में उन्नयन तथा गुणवता प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने में एक बड़ा कदम है तथा उन्हें असाधारण घटनाएं/आपातकाल से निपटने हेतु समर्थता/विशेषज्ञता उपलब्ध करवाता है जिससे प्रचालन की सुरक्षा में वृद्धि होती है।

हवाई अड्डा सामूहिक निर्णय मेंकिग : (ए–सीडीएम)

05 जून 2013 अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस पर आईजीआई हवाई अड्डे पर दिल्ली एयरपोर्ट कोलोबिरेटिव–डिसीजन मेंकिग लागू की गई। इसका उद्देश्य वास्तविक समय आधार पर सभी हवाई अड्डा पार्टनरों के बीच स्थितियों की जागरूकता की शेयरिंग द्वारा विमान प्रचालन के विलंब में कमी लाना है। इससे प्रचालन अदक्षता तथा ईंधन के अधिक प्रयोग में कमी आती है तथा पर्यावरण में CO_2 उत्सर्जन में भी कमी आती है।

व्यापार पहल

शारजाह हवाई अड्डे हेतु उपकरण एप्रोच प्रक्रिया के डिजाइन हेतु शारजाह विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक परामर्शी सेवा पर हस्ताक्षर किए गए है । भारत से बाहर पी.बी.एन. प्रक्रियाओं के डिजाइन हेतु भा.वि.प्रा. द्वारा अपनाई गई अपने प्रकार की यह पहली परियोजना है । यह पी बी एन प्रक्रिया डिजाइन में भा.वि.प्रा. की विशेषज्ञता एवं क्षमता को दर्शाता है ।

पर्यावरण

सामूहिक पर्यावरण पहल के एक भाग के रूप में अर्थात आई एन एस पी आई आर ई (उत्सर्जन में कमी के लिए भारतीय सामुद्रिक रणनीति हिस्सेदारी), यूपीआर (यूजर प्रेफर्ड रूट) भौगोलिक जोन चेन्नई तथा मुंबई एफ आई आर में स्थापित किया गया है जो कि 17 अक्टूबर 2013 से प्रभावी होगा। जोन की स्थापना यू पी आर प्रचालनों को सुगम करेगी जिससे विमान को मौजूदा मौसम की परिस्थितियों के आधार पर उपलब्ध सर्वोतम लेटरल उडान प्रोफाइल का अनुपालन करने की अनुमति होगी। इस पहल से ईंधन में महत्वपूर्ण बचत होगी तथा उत्सर्जन में कमी आएगी । इस संबंध में, भा.वि.प्रा. 1000 शहरों–पेयर इन्सयायर उड़ानों को पहले से ही सुविधा प्रदान कर चुका है जिससे 680 टन संचयी कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है ।

इकाओ असेंबली सत्र में योगदान

मॉट्रियाल में इकाओ के 38 वें असेंबली सत्र में ''अवरोध लिमिटेशन सतह हेतु मानदंड की समीक्षा की आवश्यकता'' तथा ''निकट समानान्तर धावनपथ प्रचालन हेतु उचित दिशा–निर्देश के विकास में इकाओ की आवश्यकता'' पर तकनीकी इनपुट इकाओ को दिए गए। अन्य देशों द्वारा इन दस्तावेजों को सराहा गया है तथा असेंबली द्वारा परिषद को आगे की कार्रवाई हेतु भेजा गया है ।

अनुसंधान एवं विकास

एम आई टी आर ई के तकनीकी सहयोग से हैदराबाद में अनुसंधान एवं विकास तकनीकी केन्द्र स्थापित किया गया हैं जोकि भा.वि.प्रा. के दैनिक ए टी एम प्रचालन तथा रख–रखाव, निष्पादन, विश्लेषण तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु व्यापक लेबोट्ररी क्षमता उपलब्ध करवाएगा। वित्तीय, तकनीकी तथा नए सी एन एस/ए टी एस सोल्यूशन के प्रचालन साध्यता तथा निवेश के उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु भा.वि.प्रा. के लिए यह तकनीकी केन्द्र मील का पत्थर साबित होगा ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनुसंधान एवं विकास इकाई ने एक इन–हाउस साफ्टवेयर प्रणाली विकसित की है जिसमें एयरलाइन्स द्वारा सभी फाईल्ड उड़ान योजनाएं ऑन–लाइन प्रस्तुत की जाएंगी जो स्वचालित रूप से संबंधित विमान यातायात सेवा इकाइयों को संप्रेषित हो जाएगी जिससे प्रचालन दक्षता में सुधार होगा तथा मानव जनित संभावित त्रुटियां खत्म होगी।

वैश्विक मान्यता

भा.वि.प्रा. ने वर्ष 2014 हेतु प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जेन एटीसी का अवार्ड जीता जिसमें 2012 में जेन ए.टी.सी. अवार्ड तथा 2013 में दो एटीसी ग्लोबल अवार्ड सहित भा.वि.प्रा. के पास एक और अवार्ड शामिल होने से अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र में अवार्ड की हैट्रिक हो गई। तीन बार लगातार अंतरराष्ट्रीय ए.टी.सी. अवार्ड की जीत भारतीय दिक्चालन सेवाओं में एक मील का पत्थर साबित हुई । भा.वि.प्रा. विश्व स्तरीय एएनएसपी के रूप में उभरा है।

भा.वि.प्रा. ने सर्विस प्रावधान श्रेणी के अंतर्गत एएसआई ओएसीजी (अरब महासागार भारतीय सामुद्रिक एटीसी समन्वय समूह) के माध्यम से स्थापित अरब महासागर भारतीय समुद्रीय यू पी आर भौगोलिक क्षेत्र में सामूहिक कार्यक्रम में भा.वि.प्रा. के नेतृत्व की भूमिका के कारण प्रतिष्ठित आई एच एस जेन्स ए.टी.सी. अवार्ड 2014 जीता है।

संभाला गया यातायात (2013–14 बनाम 2012–13)

वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय तथा घरेलू सेक्टर के सभी तीनों क्षेत्रों नामतः विमान संचलन, विमान यात्री तथा संभाले गए भाड़े में सभी भारतीय हवाई अड्डों में पिछले वर्ष की तुलना में संभाले गए यातायात में वृद्धि देखने को मिली। वर्ष के दौरान विमान संचलन, यात्री तथा भाड़ा यातायात में क्रमशः 3.9% 6.0% तथा 4.0% की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान संभाले गए यातायात एवं पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान संभाले गए यातायात का विवरण निम्नवत है :

विवरण विमान आवागमन	2013-14	2012-13	बदलाव %
अंतरराष्ट्रीय	335970	313909	7.0
घरेलू	1200645	1164902	3.1
कुल	1536615	1478811	3.9
यात्री (संख्या में)			
अंतरराष्ट्रीय	46619723	43033830	8.3
घरेलू	122296319	116367526	5.1
कुल	168916042	159401356	6.0
भाड़ा (मीट्रिक टन में)			
अंतरराष्ट्रीय	1443066	1406334	2.6
घरेलू	836088	784215	6.6
कुल	2279154	2190549	4.0

वित्तीय निष्पादन

2012–13 में कर पश्चात लाभ ₹ 735 करोड़ से बढकर 2013–14 में ₹ 1441 करोड़ हुआ। वर्ष 2013–14 में भा.वि.प्रा. की वित्तीय विशेषताएं निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
(क) राजस्व	8170.04	6849.08
(ख) व्यय	5649.73	5462.21
(ग) कर पूर्व लाभ	2520.31	1386.87
(घ) कर हेतु प्रावधान	1146.95	831.65
(ड) आस्थगित कर देनदारियां/(परिसम्पति)	(67.70)	(179.78)
(च) कर पश्चात लाभ	1441.06	735.00
(छ) लाभांश	288.00	147.00
(ज) लाभांश पर कर	58.73	23.86
(झ) आरक्षणों पर विनियोजन		
(i) विनिर्दिष्ट आरक्षण	446.55	628.15
(ii) सामान्य आरक्षण	647.78	(64.01)
(ञ) आंतरिक संसाधन	2462.98	1767.75

पूंजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) सरकारी पूंजी	656.56	656.56
(ख) आरक्षण एवं अधिशेष	9318.37	8174.59
(ग) उधारी	1657.21	1927.19
(घ) शुद्ध मूल्य	9935.78	8831.14
(ड) नियोजित – पूंजी	9406.70	7498.64
(च) कार्यशील – पूंजी	752.75	(1731.53)

सरकार को भुगतान

वर्ष के दौरान भारत सरकार को कर के अतिरिक्त निम्नलिखित भुगतान किए गए थे :

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश	147.00
गारंटी शुल्क	2.18
कुल	149.18

सरकार से भुगतान

वर्ष के दौरान भाविप्रा ने बजटीय अनुदान के रूप में सरकार से ₹ 93.85 करोड़ प्राप्त किए। देश के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डे के विकास एवं उन्नयन हेतु उत्तर–पूर्वी परिषद ने ₹ 16.70 करोड़ अनुदान के रूप में दिए।

पूंजीगत व्यय

वर्ष 2013–14 (₹ 1158 करोड़) के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष के ₹ 1800 करोड़ की तुलना में कम रहा।

विदेशी मुद्रा

वर्ष 2013–14 के दौरान, पूंजीगत मदों की खरीद, कलपुर्जो, विदेश यात्राओं, परामर्शदाताओं, विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान इत्यादि पर ₹ 257.96 करोड़ की राशि व्यय हुई। भा.वि.प्रा. का मानित विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग ₹ 1554.02 करोड़ था।

हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से आय

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे तथा मुबंई के सी एस आई हवाई अड्डे को पट्टे पर देने से ₹ 2684.35 करोड़ की आय हुई जिसमें ₹ 1838.06 करोड़ दिल्ली हवाई अड्डे, ₹ 835.92 करोड़ मुंबई हवाई अड्डे एवं ₹ 10.37 करोड समानुपातिक अपफ्रंट शुल्क के प्राप्त हुए।

धारणीय विकास

भा.वि.प्रा. ने देश भर में हवाई अड्डा परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय विभिन्न धारणीय विकास

परियोजनाएं / गतिविधियां प्रारंभ की है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्यतः समझौता ज्ञापन के मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए धारणीय विकास योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु तथा मुख्यतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता के लिए बोर्ड स्तर की मनोनीत समिति तैयार की गई है।

भा.वि.प्रा. ने त्रिवेंद्रम, गोवा, तिरुपति, खजुराहो, पुदुचेरी हवाई अड्डों पर अपशिष्ट प्रबंधन (सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट) के क्षेत्र में पर्यावरण हितैषी धारणीय विकास कार्य आरंभ किए हैं। गोवा, तिरुपति, कालीकट, इम्फाल, खजुराहो, कडप्पा हवाई अड्डो पर जल प्रबंधन (वर्षा जल संरक्षण) के कार्य किए गए हैं। ट्रीटेड जल को बागवानी, एच वी ओ सी एवं प्रक्षालन (फ्लशिंग) उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया । जैसलमेर, खजुराहो एवं कालीकट हवाई अड्डों पर जल संरक्षण एवं भू जल की रिचार्जिंग पूर्ण हो गई ।

कार्बन प्रबंधन एवं नवीकरण ऊर्जा के मोर्चे पर, बडोदरा, औरंगाबाद, भावनगर, राजकोट, उदयपुर, वाराणसी हवाई अड्डों तथा सीएटीसी इलाहाबाद के लिए सौर फोटो वोल्टेयिक पावर प्लांट कार्यान्वयनाधीन है। पिछले वर्षों के दौरान निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन (नई दिल्ली), गुवाहाटी, रायपुर, इन्दौर, भोपाल, भुवनेश्वर हवाई अड्डो पर सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए तथा प्रयोग मे लाए गए।

नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (सीएटीसी) इलाहाबाद तथा सफदरजंग आफिसर क्लब में सौर जल ताप प्रणाली पूर्ण हो चुकी है तथा भाविप्रा अतिथि गृह, रंगपुरी, नई दिल्ली में कार्य प्रगति पर है।

पहले चरण मे 15 हवाई अड्डों पर ऊर्जा ऑडिट कराकर तथा बिल्डिंग, बाहरी लाइटिंग, व एयरफील्ड लाइटिंग (टैक्सी पथ लाइटिंग) हेतु ऊर्जा दक्ष एलईडी टाइप लाइटिंग उपलब्ध कराकर ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में पहल की गई है। भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद, त्रिचि, भुवनेश्वर तथा रांची हवाई अड्डो पर एल.ई.डी टाईप की टैक्सी पथ लाइटिंग प्रणाली संस्थापित की गई हैं।

सभी मौजूदा एवं भावी हवाई अड्डों के लिए हमारे डिजाइन एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड–ईसीबीसी शर्तों का अनुपालन करते हुए व इंटीग्रेटेड हेबिटेट एसेसमैन्ट (जीआरआईएचए) के लिए ग्रीन रेटिंग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए है ताकि हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास के साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा सके।

10 हवाई अड्डों पर विमानपत्तन प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (एओसीसी) की स्थापना

सहयोगात्मक निर्णय लेने (सीडीएम) द्वारा भा.वि.प्रा. ने कुशल एवं प्रभावी विमानपत्तन प्रचालन प्रबंधन, संसाधन योजना व नियतन के लिए दस हवाई अड्डों (चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद जयपुर, गुवाहाटी, मैंगलोर, त्रिची, कालीकट, पुणे तथा त्रिवेन्द्रम) पर विमानपत्तन प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (एओसीसी) की स्थापना की है। ये नियंत्रण केन्द्र इन हवाई अड्डों पर इसलिए स्थापित किए गए है ताकि सभी हितधारकों के व्यक्तिगत लक्ष्यों व उद्देश्यों में एकरुपता लाई जा सके। इस परियोजना की प्रमुख विशेषता सभी हवाई अड्डों के लिए केन्द्रीकृत तथा एकल विमानपत्तन प्रचालन डाटा बेस (एओडीबी), चेन्नई में डाटा सेंटर (डीसी) तथा कोलकाता में डाटा रिकवरी (डीआर) है।

यात्री सेवाओं में उत्कृष्टता

विश्व के विमानपत्तनों के व्यावसायिक संगठन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा लगातार वर्ष 2013 व 2014 के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोलकाता हवाईअड्डे को "बेस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट" घोषित किया गया।

कोलकाता हवाई अड्डे के अतिरिक्त वर्ष 2014 में अहमदाबाद हवाई अड्डे ने 2 से 5 मिलियन यात्री वर्ग में विश्व स्तर पर 5 वाँ स्थान प्राप्त किया।

एसीआई द्वारा किए गए एएसक्यू सर्वे के अनुसार पिछले एक वर्ष में भा.वि.प्रा. के प्रमुख 11 हवाई अड्डो मे से 8 हवाई अड्डो की ग्लोबल रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हवाई अड्डे का नाम	रैंकिंग 2014	रैंकिंग 2015
कोलकाता	37	184
जयपुर	60	136
पुणे	91	110
त्रिवेन्द्रम	68	105
लखनऊ	74	86
चेन्नई	75	146
कालीकट	124	179
श्रीनगर	81	89

विमानन संरक्षा

विमानन संरक्षा निदेशालय दिक्चालन सेवाओं तथा विमानपत्तन प्रचालनों सहित भा.वि.प्रा. द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डे पर विभिन्न गतिविधियों में संरक्षा के पहलुओं के प्रबंधन द्वारा भा.वि.प्रा. के संरक्षा चूक संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। यह अपने हवाई अड्डों पर इकाओ स्टैण्डर्ड व संस्तुत पद्धतियों तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय विनियमों के अनुपालन का निर्धारण करता है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विमानन संरक्षा निदेशालय भा.वि.प्रा. के स्वामित्व वाले चालू विमानपत्तनों का नियमित अंतराल पर संरक्षा अंकेक्षण करता है ताकि संरक्षा स्टैण्डर्ड की प्रभावशीलता का निर्धारण हो सके तथा खतरों के विरुद्ध संरक्षा प्रबंधन की क्षमता का सत्यापन हो सके।

वर्ष 2013–14 के दौरान, विमानन संरक्षा निदेशालय द्वारा 33 हवाई अड्डों (3 निगमित मुख्यालय द्वारा, 20 क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा) का संरक्षा अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण रिपोर्ट संबंधित क्षे.का.नि तथा हवाई अड्डों को संरक्षा अंकेक्षण के दौरान पाई गई कमियों की ओर ध्यान देने हेतु भेजी गई।

भा.वि.प्रा. के कॉर्पोरेट एसएमएस मैनुअल को संबंधित विषय पर डीजीसीए सीएआर के आधार पर संशोधित कर लिया गया है तथा उसे डीजीसीए द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सभी हवाई अड्डों पर सी–एसएमएस मैनुअल लागू करने के लिए सभी भा.वि.प्रा. हवाई अड्डों के मार्गदर्शन हेतु एक नमूना स्टेशन एसएमएस मैनुअल भी तैयार किया गया है। दोनों मैनुअल भा.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

मै0 मित्रे कार्प, यूएसए ने "आपरेशनल सेफ्टी एसेसमेन्ट" परियोजना के अंतर्गत भारतीय विमानन अकादमी में "एडवांस एसएमएस" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कालीकट, पटना तथा मैंगलोर हवाई अड्डों की अंतिम संरक्षा निर्धारण रिपोर्ट मै0 मित्रे द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इन रिपोर्टों की प्रतियां सभी संबंधितो को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी गई।

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा सेफ्टी एपेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद, गुवाहाटी तथा चेन्नई हवाई अड्डो की संरक्षा समीक्षा की गई। इन हवाई अड्डों की एसीआई संरक्षा समीक्षा रिपोर्ट सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई।

संरक्षा संस्कृति को अपनाने तथा संरक्षा के बारे मे जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से क्षे.मु. (उत्तरपूर्वी क्षेत्र) गुवाहाटी, क्षे.मु. (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता तथा क्षे.मु. (उत्तरी क्षेत्र) नई दिल्ली में 3 एसएमएस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्गो उपलब्धियां

वर्तमान में भा.वि.प्रा. दस हवाई अड्डों – चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर, अमृतसर, लखनऊ, गुवाहाटी, त्रिची, मैंगलोर, पोर्टब्लेयर तथा जयपुर पर कार्गो प्रचालन का कार्य संभाल रहा है।

वर्ष के दौरान शुरु किए गए नए कार्गो टर्मिनल

- मैंगलोर एयर कार्गो काम्पलेक्स का अंतरराष्ट्रीय व घरेलू कार्गो प्रचालन हेतु दिनांक 18.3.2013 को उद्घाटन किया गया। अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रचालन दिनांक 27.05.2013 से शुरु किया गया।
- कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर कामन यूजर घरेलू कार्गो टर्मिनल दिनांक 05.04.2013 को शुरु किया गया।
- जयपुर हवाई अड्डे पर कामन यूजर घरेलू कार्गो टर्मिनल दिनांक 24.7.2013 को शुरु किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

वर्ष 2013–14 के दौरान मानव संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. दिनांक 01.02.2005 से वरिष्ठता का विलयन – रिव्यू डीपीसी हेतु दिशानिर्देश
2. गतिरोध (स्टेगनेशन) राहत योजना 2014 – ब्लाइंड एली संवर्ग एवं स्टेग्नेटिंग कार्मिकों हेतु
3. कर्मचारी सेवा चार्टर
4. मा.सं. नीति एवं कार्यविधि नियम पुस्तक
5. मा.सं. रणनीति योजना (2013–17)
6. रिकार्ड प्रतिधारण (रिटेंशन) अनुसूची

भारतीय विमानन अकादमी

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय विमानन अकादमी (आईएए) को प्रशिक्षण शुल्क, होस्टल प्रभार तथा भा.वि.प्रा. से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत कुल ₹ 4.45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹ 3.42 करोड़ के कर का भुगतान किया गया (मानदेय, प्रशिक्षण शुल्क, सदस्यता शुल्क तथा अप्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत)। पूंजीगत संरचना तथा दीर्घ अवधि ऋणों में कोई बदलाव नहीं है।
2. भा.वि.प्रा. तथा परिवहन मंत्रालय व नागर विमानन मंत्रालय, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य सरकार के बीच दिनांक 5.12.2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर अफगान प्रतिभागियों हेतु 2013 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
3. भा.वि.प्रा. ने एएमपीएपी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु एसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के आधार पर प्रशिक्षुओं के एक बैच को प्रशिक्षण दिया गया तथा स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
4. आईएए का वसंत कुंज में नए स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5. एनवीजा तथा पेरिस से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विचाराधीन हैं।
6. वर्ष 2013–14 के दौरान अभियांत्रिकी व कार्गो विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त दिनांक 20.5.2013 से 20.06.2013 के दौरान "एडवांस एयरपोर्ट आपरेशन कोर्स" संचालित किया गया तथा दिनांक 6.1.2014 से 10.1.2014 के

दौरान दूसरे बैच हेतु ग्लोबल एशिया इकाओ–एएमपीएपी माड्यूल संचालित किया गया।

7. संरक्षा वृद्धि के मोर्चे पर हुई पहल के अंतर्गत यू.एस.ए की मित्रे कार्पोरेशन द्वारा भा.वि.प्रा. के कार्यपालकों के लिए दिनांक 29.7.2013 से 8.8.2013 तक एडवांस "एसएमएस" प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

8. सतर्कता के परिप्रेक्ष्य में भा.वि.प्रा. के सतर्कता विभाग द्वारा एक गैर–अनुसूचित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 33 अधिकारियों ने भाग लिया।

निगमित सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

दिनांक 12 अप्रैल 2013 को सीएसआर पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुक्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यक्रम का परस्पर विलय किया गया। भा.वि.प्रा. बोर्ड ने दो स्तरीय सीएसआर व धारणीयता समिति गठित की है जिसमे से एक अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति है। दूसरे स्तर की समिति के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक (मा.सं.) है जिन्हें भा.वि.प्रा. में सीएसआर व धारणीयता हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

भा.वि.प्रा. ने 2012–13 में ₹ 14.70 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2012–13 केपीएटी का 2%) सीएसआर के लिए आबंटित किया है । 2013–14 के लिए सीएसआर रिजर्व ₹ 31.15 करोड़ (₹ 16.45 करोड़ के अग्रेनित शेष सहित) था जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 6.15 करोड़ उपयोग किए गए । वर्ष 2013–14 के दौरान भा.वि.प्रा. द्वारा 13 स्थानों पर सीएसआर परियोजनाएं तथा 39 विभिन्न स्थानों पर धारणीयता परियोजनाएं चलाई गईं।

डीपीई दिशानिर्देशो के अनुपालन में उदयपुर को सीएसआर के तहत अनिवार्य पिछड़ा जिला चयनित किया गया तथा वहाँ पर नारायण सेवा संस्थान की भागीदारी में 500 सेरेब्रल पाल्सी तथा गतिक विकलांग लोगों के आपरेशन किए गए।

हाल ही में आई बाढ़ के दौरान जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे पर राहत कार्यों हेतु हेलीकाप्टर, विमान एवं ग्राउंड आपरेशन की निर्बाध सेवा के लिए चौबीस घंटे प्रचालन सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त, भा.वि.प्रा. ने एक सहायता डेस्क सह राहत कैम्प भी स्थापित किया ताकि बाढ पीड़ितों को आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा हवाई अड्डे पर यात्रियों, उनके रिश्तेदारों व शुभचिंतकों को हरसंभव सहायता व सहयोग भी उपलब्ध कराया जा सके। भा.वि.प्रा. ने अस्थाई शिविर में आठ मोबाइल टायलेट वैन, छः टेलीफोन कनेक्शन, डाक्टरों की टीम सहित दो एम्बुलेंस तथा खाने व पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इसके अलावा भा.वि.प्रा. बोर्ड ने उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नारायणबागढ़ गांव के पुनर्निमाण एवं पुनर्वास हेतु गोद लेने की अनुमति प्रदान की।

ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सामुदायिक अवसंरचना निर्माण करने के क्रम में भा.वि.प्रा. ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 3 ग्रामीण संपर्क रोड के निर्माण, बागपत, उत्तर प्रदेश में एक डबल मैट कुश्ती हॉल का निर्माण तथा अहमदनगर, महाराष्ट्र में चार शवदाहगृह के निर्माण की परियोजनाएं भी हाथ में ली हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में, भा.वि.प्रा. ने भीमपुर विद्यालय, भुवनेश्वर, रेगुना मंडी प्राइमरी स्कूल, गोवा तथा एसओएस गांव, गुवाहाटी, असम में अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की परियोजनाएं चलाई हैं तथा केन्द्रीय विद्यालय, रंगपुरी, नई दिल्ली को सहायता देने की अपनी दीर्घावधि परियोजना को जारी रखा है।

दक्षता विकास हेतु, भा.वि.प्रा. ने मुंबई में युवा स्टार करियर विकास परियोजना चलाई है जिसमें कंप्यूटर दक्षता पर 580 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें से 140 बेरोजगार युवाओं को कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया और लगभग 51 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत लाभदायक रोजगारों में नौकरी दिलवाई गई।

त्रिवेन्द्रम, केरल में गतिक विकलांग लोगों को मोटरयुक्त ट्राइसाइकिल वितरित की गई तथा ऐसी ही 50 ट्राइसाइकिल हरदोई, उत्तर प्रदेश में वितरण हेतु अनुमोदित की गई हैं।

भा.वि.प्रा. ने 2013–14 के दौरान भी अपनी अद्वितीय कागज पुनचर्क्रण इकाई परियोजना को जारी रखा। इकाई मे पर्यावरण हितैषी तकनीकों द्वारा व्यर्थ कार्यालयी कागज से कुल 62 टन का पुनःचक्रित कागज तैयार किया गया।

पर्यावरण धारणीयता के अंतर्गत 2013–14 के दौरान भा. वि.प्रा. द्वारा 5 हवाई अड्डों पर जल संरक्षण एवं पुनर्भरण, 10 हवाई अड्डों पर ऊर्जा अंकेक्षण एवं ऊर्जा बजट तैयार करना, 5 हवाई अड्डों पर ठोस कचरा प्रबंधन–एसटीपी तथा 19 हवाई अड्डों पर आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणीकरण के कार्य किए गए।

डीपीई दिशानिर्देशों की सुसंगतता में, प्रमुख हितधारकों हेतु उदयपुर में एक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि भाविप्रा की सीएसआर व धारणीयता गतिविधियों पर हितधारकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके तथा भा.वि.प्रा. की सीएसआर व धारणीयता पहलों से हितधारकों को सूचित करने हेतु एक संचार रणनीति तैयार की गई।

पूर्वोतर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के 100 से अधिक कार्यपालकों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन क्षेत्रीय सीएसआर व धारणीयता सम्मेलन आयोजित किए गए। ये सम्मेलन न केवल भा.वि.प्रा. के कार्मिकों को और अधिक सुग्राही बनाने में बल्कि भाविप्रा के व्यापारिक लक्ष्यों से संगत एयरपोर्ट विशिष्ट सीएसआर परियोजनाओं को पहचानने में लाभदायक साबित हुए हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

क) भा.वि.प्रा. में सत्यानिष्ठा समझौता

- 01.04.2008 से भा.वि.प्रा. में सत्यानिष्ठा समझौता लागू किया गया। सत्यनिष्ठा समझौता (आई.पी) के अधीन अभी तक ₹ 9891.29 करोड़ की 105 परियोजनाएं अमल में लाई गई है।
- संविदाओं के संशोधित प्रारंभिक मूल्यों सहित नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित "आई.पी." का संशोधित प्रारुप भा.वि.प्रा. की सभी संविदाओं में परिपत्र स. एएआई/पीएमक्यूए/ 7001/2013 दिनांक 27.05.2013 के द्वारा लागू किया गया।
- सत्यनिष्ठा समझौता अंतर्गत निगमित मुख्यालय में 18–06–2013 को आर्किटेक्ट एवं परामर्शदाताओं के साथ एक वेण्डर बैठक आयोजित की गई ।
- दिनांक 22.01.2014 से 5 वर्षो की अवधि हेतु भा.वि. प्रा. में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने की दिशा में अध्यक्ष भा.वि.प्रा. एवं अध्यक्ष, ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के मध्य एक समझौता ज्ञापन नवीकृत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ख) सतर्कता मामले एवं गतिविधियाँ

- नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में भा.वि.प्रा. बोर्ड की दिनांक 19.09.2013 को हुई बैठक मे "सतर्कता मामले एवं गतिविधियों" पर एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया तथा जून 2012 से अगस्त 2013 तक विभिन्न सतर्कता विषयों और गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति की गई।

- 28.02.2013 तथा 30.11.2013 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही सतर्कता समीक्षा बैठकें अध्यक्ष की अध्यक्षता में 19–02–2013 एवं 10–12–2013 को आयोजित की गई । समीक्षा बैठकों में सदस्य एवं सीवीओ द्वारा भाग लिया गया।

ग) सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2013 का आयोजन

i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, देशभर में भा.वि.प्रा. के सभी हवाई अड्डों, इकाइयों, तथा कार्यालयो में 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2013 का आयोजन किया गया। निगमित मुख्यालय मे इसके आयोजन की प्रमुख झलकियाँ निम्नलिखित हैः–

ii) अध्यक्ष द्वारा 28.10.2013 को शपथ दिलवाई गई और "विभागीय कार्यवाहियों पर लघु पुस्तिका" का विमोचन किया गया।

iii) दिनांक 28.10.2013 को प्रसन्ना ट्रस्ट, बैंगलोर के स्वामी सुखबोधानंद जी द्वारा प्रेरक व्याख्यान दिया गया।

iv) दिनांक 29.10.2013 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक चावला, आई.ए.एस (से.नि) द्वारा "सुशासनः पारदर्शिता व निष्पक्षता" विषय पर व्याख्यान दिया गया।

v) एस ए पी– ई आर पी के कार्यान्वयन से भा.वि.प्रा. को होने वाले लाभ के बारे में महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा दिनांक 30.10.2013 को प्रस्तुतीकरण ।

vi) 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आम तौर पर पाई जाने वाली अनियमितताएं' विषय पर 31.03.2013 को श्री अनिल सिंघल सी टी ई / सी वी सी द्वारा व्याख्यान।

vii) श्री के. सलीम अली, विशेष निदेशक, सी बी आई, नई दिल्ली द्वारा समापन समारोह के अवसर पर संबोधन तथा सी वी सी के दिशानिर्देशों के ई–कम्पाइलेसन की सॉफ्ट कॉपी का विमोचन ।

घ) कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 'वाणिज्यिक ठेके एवं उसका कार्यान्वयन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन 04–05 जुलाई, 2013 के दौरान नई दिल्ली में किया गया ।
- 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आम तौर पर पाई जाने वाली अनियमितताएं' विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में किया गया जिसमें इस विषय पर श्री अनिल सिंघल, सी टी ई / सी वी सी ने व्याख्यान दिया ।
- 15 अप्रैल, 2013 को भारतीय विमानन अकादमी, नई दिल्ली में नव नियुक्त सतर्कता अधिकारियों के लिए एक अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यशाला, नई कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
- 'संविदा का प्रभावी प्रबंधन– सुशासन को बढ़ावा देना' विषय पर 07.01.2014 से 09.01.2014 तक त्रिवेन्द्रम में तथा 19.02.2014 से 21.02.2014 तक गुवाहाटी में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । त्रिवेन्द्रम में आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यवस्थागत सुधारों की सिफारिश करते हुए अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. को दिनांक 27.02.2014 को एक नोट भेजा गया है ।

ङ) सी टी ई प्रकार के निरीक्षण –

- सतर्कता विभाग ने गोवा, अहमदाबाद, अमृतसर, गोंडिया, पंतनगर (दो कार्य) एवं जम्मू हवाईअड्डों पर सिविल तथा विद्युत आदि संबंधी मुख्य कार्यों के सात सी टी ई प्रकार के निरीक्षण किए ।

च) सूचना–प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

सतर्कता के संबंध में उठाए गए कदम/लागू किए गए उपाय:

- कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रोफाइल को वेबसाइट पर अपलोड करना ।
- 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' ऑनलाइन प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार।
- भा.वि.प्रा. की वेबसाइट पर टेंडरों को पोस्ट करने के प्रपत्र में सुधार ।
- जी आई एस आधारित भूमि एवं परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली (जीएलएएमएस) का अनुरक्षण।
- वाणिज्यिक वेंडरों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र को लागू करना ।
- ऑनलाइन सतर्कता क्लीयरेंस प्रणाली को लागू करना ।
- ई–टैंडरिंग को अनिवार्य बनाना ।
- मुख्य सतर्कता आयोग के अनुदेशों का ई–कंपाइलेशन ।

छ) तकनीकी/प्रशासनिक अनुदेश जारी करना ।

सतर्कता विभाग की पहल की वजह से व्यवस्था में स्पष्टता एवं सुधार लाने के लिए इस अवधि के दौरान 15 तकनीकी अनुदेश/परिपत्र एवं 4 प्रशासनिक/सिफारिशें/परिपत्र जारी किए गए ।

ज) मानव संसाधन एवं वित्त नियम पुस्तिका (मैनुअल) जारी करना

सतर्कता विभाग की पहल एवं सुझाव पर मानव संसाधन एवं वित्त नियम–पुस्तिका (मैनुअल) का अनुमोदन किया एवं उन्हें जारी किया गया ।

झ) अनुशासनिक मामले

इस अवधि के दौरान 25 मेजर पेनाल्टी तथा 20 माइनर पेनाल्टी कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया ।

ञ) सतर्कता संबंधी जांच

संदर्भित अवधि के दौरान 78 मामलों, जिसमें 204 पदाधिकारी शामिल हैं, की सतर्कता जांच पूर्ण की गई ।

ट) मुख्य सतर्कता विभाग के प्रयासों से प्राप्त वसूली जॉच व निरीक्षणों के आधार पर सतर्कता प्रयासों के फलस्वरूप ₹ 3,64,71,866.77 की कुल राशि वसूली गई ।

2013–14 में खेलकूद संबंधी गतिविधियों की उपलब्धियां एवं रिपोर्ट

अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेलकूद प्रोत्साहन बोर्ड की गतिविधियों में सहभागिता

- भा.वि.प्रा. की टीम (पुरूष एवं महिला) ने लखनऊ में दिनांक 4 से 8 अक्टूबर 2013 तक आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया और इसमें भा.वि.प्रा. की पुरूष एवं महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया तथा मोहिता सहदेव एवं डी सुधा कल्याणी ने महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया । डी. सुधा कल्याणी एवं गार्गी सिंह ने महिला युगल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया ।
- भा.वि.प्रा. की टीम (महिला एवं पुरूष) ने त्रिवेन्द्रम में दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2013 तक आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया और इसमें भा.वि.प्रा. की महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया तथा

ओपन इवेन्टों में वी नितिन एवं सुष्मित श्रीराम ने पुरूष युगल में रजत पदक हासिल किया ।

राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भा.वि.प्रा. टीम की सहभागिता एवं उपलब्धियॉं

- भा.वि.प्रा. की महिला टीम ने जनवरी 2014 में पटना में आयोजित सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भाग लिया और कांस्य पदक जीता।
- भा.वि.प्रा. की पुरूष टीम ने दिसम्बर 2013 में नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भाग लिया और कांस्य पदक जीता।
- भा.वि.प्रा. की टीम ने फरवरी 2014 में कानपुर में आयोजित नेशनल टीम शतरंज चैम्पियनशिप में भाग लिया जिसमें भा.वि.प्रा. की पुरूष व महिला टीमें टूर्नामेंट में रनर अप रहीं ।

अंतरराष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियॉं

कृत्विका सिन्हा रॉय, जिन्हें भा.वि.प्रा. खेलकूद कंट्रेक्ट योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ने जनवरी 2014 में तेहरान में आयोजित फेयर कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हंगरी की रीता केरटाइ को हराकर महिलाओं की एकल खिताब जीता । नेहा अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने इसी टूर्नामेंट में महिलाओं का युगल खिताब जीता ।

निकहत बानो, जिन्हें भा.वि.प्रा. खेलकूद कंट्रेक्ट योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जनवरी 2014 में तेहरान में आयोजित फेयर कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में महिलाओं की एकल प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुँचीं ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। हिन्दी के प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष के दौरान निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा फील्ड कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

निगमित मुख्यालय तथा दूसरे सभी स्टेशनों पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा मुख्यालय तथा भा.वि.प्रा. के लगभग सभी स्टेशनों पर हिन्दी पखवाड़े का आयोजन भी किया गया। हिन्दी शिक्षण योजना अथवा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण लगातार आयोजित किए जाते हैं ।

भा.वि.प्रा. में राजभाषा के प्रयोग पर बल देने के लिए निगमित मुख्यालय के संयुक्त महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ।

वर्तमान में निगमित मुख्यालय द्वारा हिन्दी में गृह पत्रिका 'अर्पण' का प्रकाशन किया जा रहा है ।

संयुक्त उद्यम कंपनी

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीएचआईएएल) जोकि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को प्रचालित एवं उसे मेंटेन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से पंजाब सरकार एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, पंजाब के मोहाली में एक नया अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा निर्मित कर रहा है ।

नए एकीकृत टर्मिनल भवन के जुलाई 2015 तक प्रचालन के लिए शुरू हो जाने की उम्मीद है ।

सदस्यों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है ।

(ii) सदस्यों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उनको निरंतर लागू किया है एवं निर्णय दिए है व प्राक्कलन किया है जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत तक प्राधिकरण के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि में प्राधिकरण के लाभ की वास्तविक एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सके ।

(iii) लेखाकरण रिकार्डों के समुचित रख–रखाव के लिए सदस्यों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है ।

(iv) सदस्यों ने वार्षिक लेखा को गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया है ।

बोर्ड सदस्य

वर्ष के दौरान बोर्ड के संघटन में निम्नलिखित फेरबदल हुए :

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 24 जनवरी, 2014 के पत्र संख्या ए वी 24011/3/2007–ए ए आई के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक सिन्हा को उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त भा.वि.प्रा. के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार तब तक के लिए सौंपा गया जब तक कि नियमित पदधारी की नियुक्ति न हो जाए अथवा जब तक अगले आदेश न हों, इनमें से जो भी पहले हो ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 21 फरवरी, 2014 के अधिसूचना संख्या ए वी 24015/5/2013–ए ए आई के माध्यम से तत्काल प्रभाव से डॉ. प्रभात कुमार (आई.ए.एस.), महानिदेशक, नागर विमानन को श्री अरूण मिश्र के स्थान पर भाविप्रा के बोर्ड में पदेन सदस्य तथा श्री एम. कन्नन, आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को श्री आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर भा.वि.प्रा. बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 24 मार्च, 2014 के अधिसूचना संख्या ए वी 24015/5/2013–ए ए आई के माध्यम से सुश्री एम. सत्यवती, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को श्री एस. महेन्द्रनाथन के स्थान पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।

31 मार्च, 2014 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :–

श्री आलोक सिन्हा – अध्यक्ष

डॉ. प्रभात कुमार – महानिदेशक नागर विमानन एवं पदेन सदस्य

सुश्री एम. सत्यवती – अंशकालिक सदस्य

श्री एम. कन्नन – अंशकालिक सदस्य

श्री के.के. झा – सदस्य (मानव संसाधन)

श्री एस. रहेजा – सदस्य (योजना)

श्री वी. सोमासुन्दरम – सदस्य (वायु दिक्चालन सेवाएं)

श्री जी. के. चौकियाल – सदस्य (प्रचालन)

श्री एस. सुरेश – सदस्य (वित्त)

सदस्य की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :–

श्री आर. के. श्रीवास्तव – अध्यक्ष

सुश्री एम. सत्यवती – महानिदेशक नागर विमानन एवं पदेन सदस्य

श्री अरूण कुमार – अंशकालिक सदस्य

सुश्री गार्गी कौल – अंशकालिक सदस्य

श्री एस. रहेजा – सदस्य (योजना)

श्री वी. सोमासुन्दरम – सदस्य (वायु दिक्चालन सेवाएं)

श्री जी. के. चौकियाल – सदस्य (प्रचालन)

श्री एस. सुरेश – सदस्य (वित्त)

श्री अनुज अग्रवाल – सदस्य (मानव संसाधन)

31.3.2014 के बाद बोर्ड के सदस्यों के संघटन में बदलाव :

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 22 अगस्त, 2014 के आदेश संख्या ए वी 24011/1/2014–ए ए आई के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सदस्य (योजना) श्री एस. रहेजा को 25 अगस्त 2014 से अगले आदेशों तक के लिए उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त भा.वि.प्रा. के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया । यह प्रभार उन्हें श्री आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे थे, के दिनांक 24.8.2014 को कार्यकाल पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप दिया गया ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के अधिसूचना संख्या ए वी 24015/5/2013–ए ए आई के माध्यम से तत्काल प्रभाव से श्री अरूण कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की नियुक्ति श्री एम. कन्नन के स्थान पर तत्काल प्रभाव से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में की गई ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के पत्र संख्या ए वी 24011/2/2013–ए ए आई के माध्यम से श्री अनुज अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक की भा.वि.प्रा. के सदस्य (मानव संसाधन) के पद पर नियुक्ति की गई । यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, होगी । श्री अनुज अग्रवाल ने भा.वि.प्रा. के सदस्य (मानव संसाधन) का पदभार 1 दिसम्बर, 2014 से ग्रहण कर लिया है ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के पत्र संख्या ए वी 24011/1/2014–ए ए आई के माध्यम से श्री आर. के. श्रीवास्तव, आई ए एस (झारखंडः 84), प्रधान सचिव, झारखंड सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । श्री आर. के. श्रीवास्तव ने 2 जनवरी, 2015 से भा.वि.प्रा. के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के आदेश संख्या ए 60015/160/2010–डी.जी (पी टी) के माध्यम से सुश्री एम. सत्यवती, आई.ए.एस., अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को डॉ. प्रभात कुमार के स्थान पर महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 28.1.2017 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए है। उन्होंने 5 जनवरी, 2015 को महानिदेशक, नागर विमानन का पदभार ग्रहण

कर लिया ।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 5 मई, 2015 के अधिसूचना संख्या एवी 24015/2/2015–एए आई –मोका के माध्यम से सुश्री गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय को सुश्री एम. सत्यवती, पूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर तत्काल प्रभाव से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ।

आभार प्रदर्शन

प्राधिकरण सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए सद्भावनापूर्ण प्रयासों तथा योगदान की सराहना करता है ।

प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय, डी जी सी ए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों, विमान सेवाओं तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है। प्राधिकरण सभी क्षेत्रों के अपने क्रिया–कलापों में बैंकाक स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मांट्रियल स्थित इकाओ मुख्यालय द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग की भी सराहना करता है ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

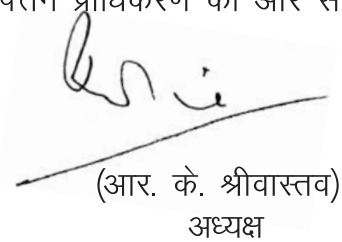

(आर. के. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2015

31.03.2014 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्गों व अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व :

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का %
18036	3952	21.95	1217	6.76	2574	14.30

31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अशक्त व्यक्तियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	दृश्य अशक्तता	श्रव्य अशक्तता	शारीरिक अशक्तता	अशक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	अशक्त कर्मचारियों का प्रतिशत
18036	28	22	161	211	1.17

भाविप्रा द्वारा अशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई सुविधा :

(i) अशक्त व्यक्तियों हेतु एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई। लिफ्टों के दरवाजों के खुलने का आकार इस तरह बनाया गया है ताकि पहिए वाली कुर्सी आसानी से अन्दर तथा बाहर आ जा सके ।

(ii) चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के लिए आपातकालीन सेवाओं हेतु निशुल्क पहिए वाली कुर्सी (व्हिल चेयर) मेडिकल निरीक्षण कक्ष में रखी हुई है तथा टर्मिनल भवन में शहर की ओर तथा हवाई अड्डे में हवाई क्षेत्र की ओर अशक्त व्यक्तियों हेतु रैम्प बनाए गए हैं ।

(iii) अपना वाहन चला कर लाने वाले अशक्त व्यक्तियों हेतु कार पार्किंग क्षेत्र में विशेष पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं ।

(iv) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आप्रवासन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल आप्रवास काउंटर तैयार किए जा रहे हैं।

(v) सुरक्षा जॉच काउंटर इस प्रकार बनाए गए हैं कि सुरक्षा जॉच क्षेत्र से पहिए वाली कुर्सी का आवागमन आसानी से हो सके ।

(vi) अशक्त व्यक्तियों हेतु टर्मिनल तथा कर्ब साइड में रैम्प ।

वित्तीय स्थिति

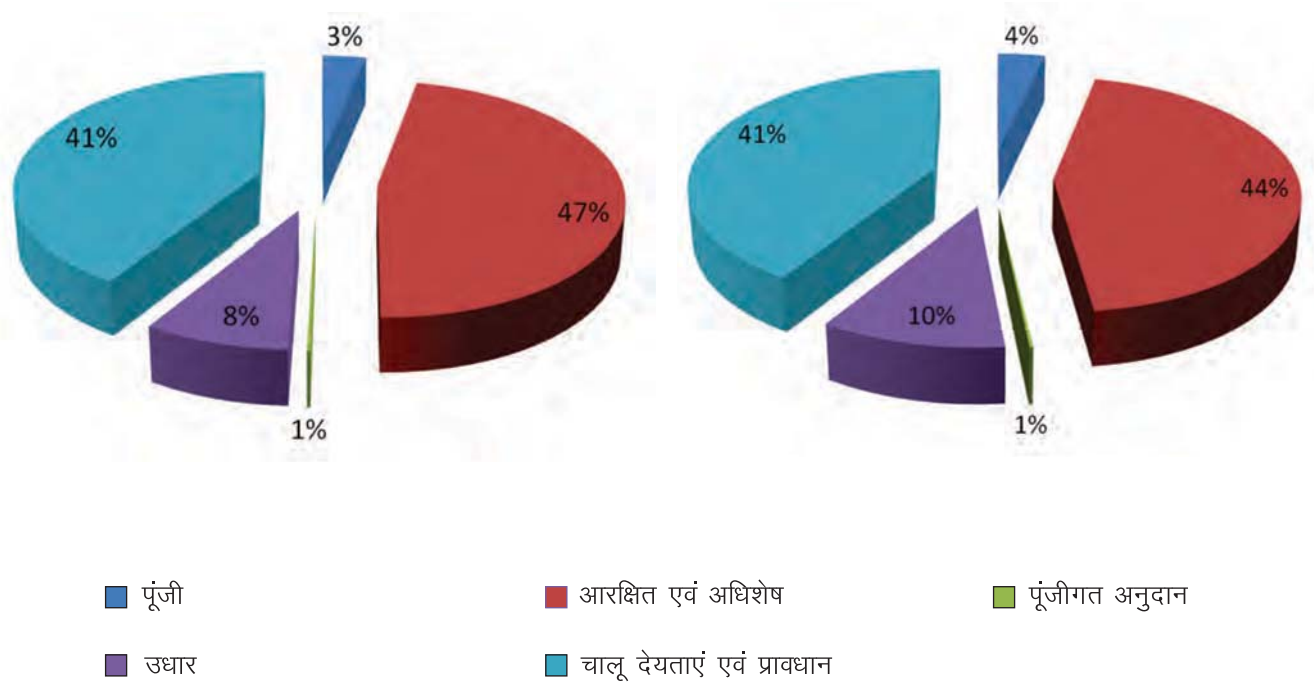

हमारी देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
पूंजी	656.56	656.56
आरक्षित एवं अधिशेष	9279.22	8174.58
पूंजीगत अनुदान	39.15	37.05
उधार	1657.21	1927.19
चालू देयताएं एवं प्रावधान	8132.95	7544.23
योग	19765.09	18339.61

वित्तीय स्थिति

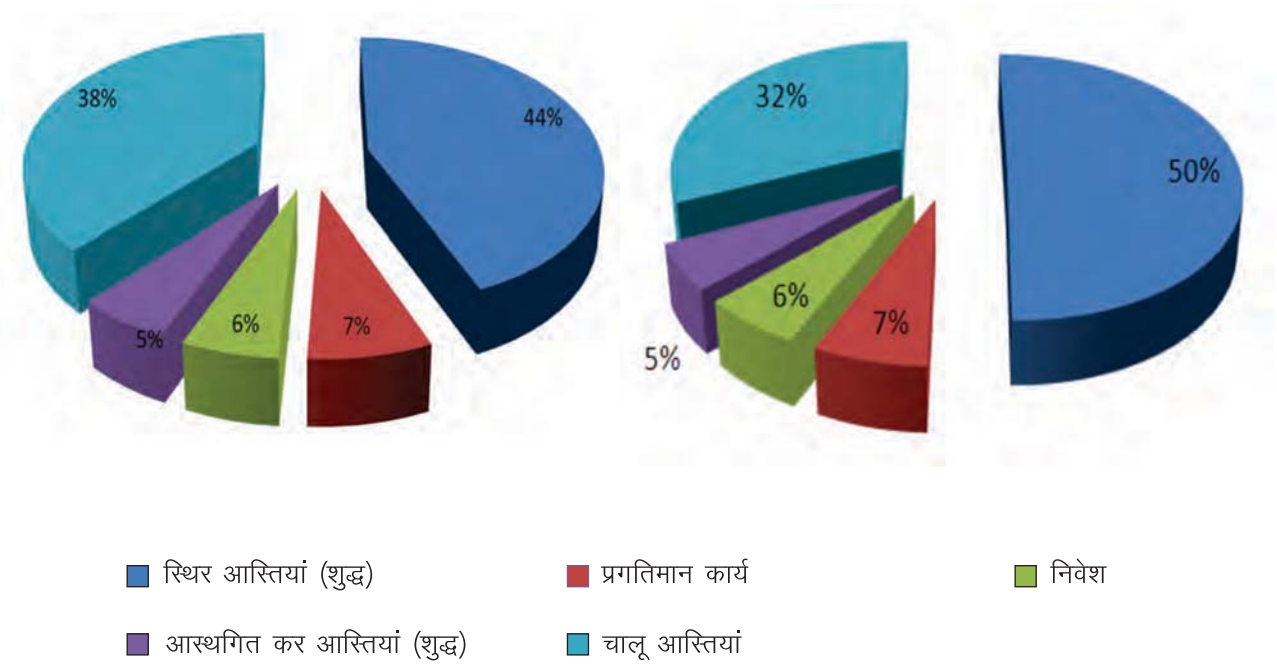

हमारे स्वामित्व में

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
स्थिर आस्तियां (शुद्ध)	8653.95	9230.17
प्रगतिमान कार्य	1403.61	1205.55
निवेश	1096.13	1091.23
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	1067.66	999.96
चालू आस्तियां	7543.74	5812.70
योग	19765.09	18339.61

कार्यनिष्पादन की झलक

विवरण	इकाई	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11	2009–10
धन के स्रोत						
प्रदत्त पूंजी	₹ करोड़ में	656.56	656.56	656.56	655.61	623.34
अनुदान	"	39.15	37.05	547.11	440.80	158.27
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	"	0.00	0.00	0.95	32.28	49.57
अन्य ऋण	"	1,657.21	1655.15	2141.29	1192.96	622.37
गैर चालू देयताएं		1,980.64	2604.93	–	–	–
आरक्षित और अधिशेष	"	9,279.22	8174.59	7610.44	6960.97	6510.97
कुल		**13,612.78**	**13128.28**	**10956.34**	**9282.62**	**7964.52**
धन का उपयोग						
स्थिर आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)	"	8,653.95	9230.18	5909.43	5360.15	4315.97
जारी प्रगतिशील कार्य	"	1,403.61	1205.55	4391.68	3747.52	3185.94
निवेश	"	1,096.13	1091.23	1086.31	978.65	921.52
अन्य गैर चालू परिसम्पतियाँ		638.68	432.76	–	–	–
कार्यशील पूंजी	"	752.75	168.60	(1251.27)	(1471.07)	(1031.00)
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	"	1,067.66	999.96	820.18	667.36	572.08
कुल		**13,612.78**	**13128.28**	**10956.34**	**9282.61**	**7964.52**
आय और लाभ						
राजस्व	"	8,170.04	6849.08	5878.66	5139.21	4615.29
व्यय	"	5,649.73	5462.21	4514.54	3792.92	3386.85
कर पूर्व लाभ	"	2,520.31	1386.87	1364.12	1346.30	1228.44
कर हेतु प्रावधान	"	1,146.95	831.65	667.70	566.90	575.65
आस्थगित कर देयता (आस्तियां) हेतु प्रावधान		(67.70)	(179.78)	(162.58)	(67.00)	(59.50)
कर पश्चात लाभ	"	1,441.06	735.00	859.00	846.40	712.29
विनियोजन						
सामान्य आरक्षित	"	647.78	(64.01)	395.53	389.77	327.68
विशिष्ट आरक्षित	"	446.55	628.15	263.69	259.85	218.44
लाभांश (अन्तरिम लाभांश सहित)	"	288.00	147.00	171.90	169.30	142.50
लाभांश पर कर	"	58.73	23.86	27.89	27.47	23.67
कुल		**1,441.06**	**735.00**	**859.01**	**846.39**	**712.29**
कुल मूल्य (शेयर पूंजी + सामान्य कोष)	"	**9,935.78**	**8831.15**	**8266.99**	**7616.58**	**7134.31**
नियोजित पूंजी (शुद्ध स्थिर आस्तिया + कार्यशील पूंजी)	"	9,406.70	9398.78	4658.16	3889.08	3285.00
चालू आस्तियां	"	**6,905.06**	**5,379.93**	**5408.04**	**5938.72**	**7275.22**
चालू दायित्व	"	**6,152.31**	**5,211.33**	**6659.30**	**7409.79**	**8306.22**
कार्यशील पूंजी	"	752.75	168.60	(1251.27)	(1471.07)	(1031.00)

कार्यनिष्पादन की झलक

विवरण	इकाई	2013—14	2012—13	2011—12	2010—11	2009—10
अन्य विशेषताएं						
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	₹ करोड़ में	681.44	4489.62	1618.47	1920.48	1479.17
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	1,785.56	1,593.98	1516.47	1021.98	815.35
तैनात कर्मचारियों की संख्या	संख्या	18036	18573	18781	18243	18514
विमान संचलन	संख्या हजार में	1537	1479	1545	1393	1331
यात्री आवागमन(**)	"	71759	68284	68397	59642	51132
संभाला गया कार्गो (**)	हजार टन में	638	652	703	727	590
अनुपात						
शुद्ध मूल्य के कर के बाद लाभ	प्रतिशत	15	8	10	11	10
विनियोजित पूंजी पर कर के पूर्व लाभ	"	27	15	29	35	37
विनियोजित पूंजी पर कर के बाद लाभ	"	15.32	7.82	18	22	22
विनियोजित पूंजी पर टर्नओवर	"	86.85	72.87	126	132	140
चालू अनुपात	अनुपात	1.12:1	1.03:1	0.80:1	0.80:1	0.88:1
कुल राजस्व पर कर पूर्व लाभ	प्रतिशत	30.85	20.25	23	26	27
कुल राजस्व पर कर बाद लाभ	"	18	11	15	16	15
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिनों में	194	209	190	156	152
प्रति कर्मचारी विमान संचालनों की संख्या	संख्या	85	80	82	76	72
प्रति कर्मचारी राजस्व	₹ हजार में	4496	3688	3130	2817	2493
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	₹ हजार में	3109	2941	2404	2079	1829
वार्षिक योजना						
योजना परिव्यय	₹ करोड़ में	1336.00	1962.00	2774.15	3610.00	3244.96
वास्तविक पूंजी व्यय	"	1158.00	1800.00	2095.00	2503.12	2742.54
इस प्रकार वित्त पोषित है :						
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन'	"	972.12	1252.46	1085.37	1860.88	1985.64
पूर्वोत्तर परिषद अनुदान	"	16.70	25.1	44.00	26.19	70.00
सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता	"	—	—	1.89	64.55	99.15
बजटीय सहायता अनुदान		93.85	22.44	132.4	251.50	—
वाणिज्यिक उधारियां	"	—	500	815.00	300.00	550.00
अन्य	"	75.33	—	16.34	—	37.75
कुल		**1158.00**	**1800.00**	**2095.00**	**2503.12**	**2742.54**

कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार संशोधित फार्मेट के कार्यान्वयन के कारण पिछले वर्ष (2012—13) के आंकड़ों एवं अनुसूचियों को पुनः समूह एवं पुनः व्यवस्थित किया गया।
(**) जेवीसी एवं निजी हवाई अड्डो को छोड़ कर
^ कार्यशील पूंजी को समायोजित करने के बाद

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	नोट सं.	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2012–13	
I इक्विटी एवं देयता					
1. पूंजी					
(क) पूंजी	2	656.56		656.56	
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	9,318.37		8,211.64	
			9,974.93		**8,868.20**
2. गैर–चालू देयताएं					
(क) दीर्घकालीन उधारियां	4	1,657.21		1,655.15	
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	568.63		467.84	
(ग) दीर्घकालीन प्रावधान	6	1,412.01		2,137.09	
			3,637.85		**4,260.08**
3. वर्तमान देयताएं					
(क) अल्पकालीन उधारियां	7	-		270.00	
(ख) ट्रेड देय	8	385.13		310.98	
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	9	1,340.06		1,711.33	
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	10	4,427.12		2,919.02	
			6,152.31		5,211.33
			19,765.09		**18,339.61**
II परिसम्पत्तियां					
1. गैर–चालू परिसम्पत्तियां					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां					
(i) मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियां	11	8,637.42		9,212.83	
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	12	16.53		17.35	
(iii) पूंजीगत जारी कार्य	13	1,379.75		1,183.68	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	14	23.86		21.87	
(ख) गैर–चालू निवेश	15	1,096.13		1,091.23	
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	16	1,067.66		999.96	
(घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	17	638.68		432.76	
(ड) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	18	-		-	
			12,860.03		**12,959.68**
2. वर्तमान परिसम्पत्तियां					
(क) माल सूची	19	57.80		55.36	
(ख) ट्रेड से प्राप्त	20	1,785.56		1,593.98	
(ग) नगदी एवं नगदी समतुल्य	21	1,141.78		85.65	
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	22	3,542.56		3,062.86	
(ड) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	23	377.36		582.08	
			6,905.06		5,379.93
			19,765.09		**18,339.61**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार 1

1 से 49 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(पंकज जैन)	(राजेश भंडारी)	(एस. सुरेश)	(आर.के श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (सीए एवं सीएस)	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

नई दिल्ली
27 जनवरी, 2015

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि संबंधी विवरण

(₹ करोड़ में)

	नोट सं.	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
आय			
I. हवाईअड्डा दिक्चालन सेवाएं	24	2,229.70	2,087.64
II. हवाईअड्डा सेवाएं	25	2,098.29	1,548.06
III. गैर–दिक्चालन हवाईअड्डा सेवाएं	26	814.28	717.95
IV. कार्गो राजस्व	27	192.00	176.96
V. हवाईअड्डा पट्टा राजस्व	28	2,684.35	2,115.32
VI. अन्य आय	29	151.42	203.15
VII. **कुल राजस्व (I+II+III+IV+V+VI)**		**8,170.04**	**6,849.08**
VIII. **खर्च**			
कर्मचारी लाभ खर्च	30	2,397.86	2,549.62
प्रचालन खर्च	31	887.89	758.80
प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	32	315.22	346.46
वित्तीय लागत	33	154.77	70.52
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च		1,368.65	1,203.60
सुरक्षा खर्चें	34	592.72	533.21
कुल खर्च		**5,717.11**	**5,462.21**
IX. **अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ** (VII-VIII)		2,452.93	1,386.87
X. अपवादात्मक मदें	35	(67.38)	-
XI. **असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ** (IX-X)		2,520.31	1,386.87
XII. असाधारण मद		-	-
XIII. कर पूर्व लाभ (XI-XII)		**2,520.31**	**1,386.87**
XIV. कर खर्चे			
(1) चालू कर		1,146.95	831.65
(पिछले वर्ष का ₹ 103.95 करोड़ का कर इसमें शामिल है) (वित्तीय वर्ष 2012–13 ₹ 49.65 करोड़)			
(2) आस्थगित कर		(67.70)	(179.78)
XV. अवधि (XIII-XIV) के लिए लाभ / (हानि)		**1,441.06**	**735.00**
तुलन–पत्र में ले जाया गया शेष		**1,441.06**	**735.00**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार	1		

1 से 49 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

(पंकज जैन)	(राजेश भंडारी)	(एस. सुरेश)	(आर.के श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (सीए एवं सीएस)	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

नई दिल्ली
27 जनवरी, 2015

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1.1 (i) वित्तीय विवरणों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं अनिवार्य लागू लेखा मानकों के अनुसार उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किया गया ।

(ii) लेखों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा विवरण) 815 के अंतर्गत सरकार की अधिसूचना सं. 2014 नियम दिनांक 2014, मार्च 31, के द्वारा अधिसूचित फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया गया।

(iii) सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान और गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया । प्रदान की गई सेवाओं एवं इनकी नकद एवं नकद समकक्ष रूप में वसूली के आधार पर वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए आपरेटिंग साइकल को 12 महीने के रूप में लिया गया। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की लागू आवश्यकताओं के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया।

1.2 प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि प्रबंधन प्राक्कलन और पूर्वधारणा बनाए जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्टे राशि एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करती हो। प्रबंधन के अनुसार यह प्राक्कलन और पूर्वधारणा युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण है। हालांकि वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से अलग हो सकते हैं ।

1.3 स्थिर परिसंपत्तियाँ

(क) मूर्त परिसंपत्तियाँ

(i) स्थिर परिसंपत्तियों को लागत पर, किसी कर के मामले में उपलब्ध क्रेडिट का शुद्ध मूल्य, शुल्क कम करके संचित मूल्यह्रास लिया गया है। लागत में खरीद का मूल्य एवं उपयोग के लिए चालू हालत में परिसंपत्ति को लाने की लागत आती है ।

(ii) पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है ।

(iii) आंशिक रुप से पूर्ण कार्य/परियोजनाओं तथा उनको प्रयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत किया गया।

(iv) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों से असंबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रुप में प्रभारित किए गए हैं।

(v) परित्यक्त कार्यो के मामले में पूर्व–परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए व परित्यक्त कार्यो के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है ।

(vi) स्थिर आस्तियां जिनका पूर्णतयाः मूल्यह्रास हुआ है उन्हें 1 रुपये के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है ।

(vii) राज्य सरकार से निःशुल्क अर्जित गैर वित्तीय आस्ति की लागत प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए 1 रुपये के

नाम मात्र के मूल्य माना गया है ।

(viii) जहां कहीं भूमि की बिक्री / हस्तांतरण / निपटारा किया गया तथा ऐसी भूमि का मूल्य विशेष उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर यह अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है।

(ix) संयुक्त स्थिर आस्तियों के मामले में ऐसी आस्तियों में भा.वि.प्रा. के हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है तथा तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

(x) भा.वि.प्रा. द्वारा लीज पर ली गई परिसंपत्तियों को लीज अवधि के लिए परिशोधन किया गया है ऐसे मामलों में जहां लीज अवधि उपलब्ध नहीं है ऐसी संपत्तियों को 60 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है।

(ख) परियोजनाओं पर निर्माण अवधि व्यय

(i) पूंजीगत परियोजनाएं देख रहे विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्य की समापन लागत के साथ पूंजीगत किया गया है ।

(ii) परियोजना के संबंध में एकत्रित अग्रिम पर ब्याज परियोजना व्यय के लिए निर्धारित है ।

(iii) परियोजनाओं के लिए उधार पर ब्याज परियोजना के पूंजीकरण में आने तक पूंजीकृत है ।

(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(i) भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साफ्टवेयर को पूंजीगत करते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो के लिए परिशोधित किया गया है।

(ii) शोध एवं विकास पर व्यय पूंजी लेख के अतिरिक्त राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

(iii) स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन अवधि में संशोधन किया गया है। भविष्य में स्थिर आस्तियों को प्रत्यक्ष सत्यापन निम्नानुसार किया जाएगाः–

बड़े हवाई अड्डे (एटीसी केन्द्र / सुरक्षा / कार्गो इकाईयों सहितः प्रत्येक तीन वर्षों में

मध्यम आकार के हवाई अड्डे : प्रत्येक दो वर्षों में

छोटे हवाई अड्डे (इनमें वैमानिक संचार केन्द्र, निगमित मुख्यालय, सी ए टी सी, आर सी डी यू, सी आर एस डी, एफ आई यू, ई एम ओ तथा क्षेत्रीय मुख्यालय (प्रशासनिक कार्यालय) शामिल हैं) : प्रति वर्ष

उपरोक्त हवाई अड्डों का वर्गीकरण अनुलग्नक क में है।

1.4 निवेश

निवेश जो कि वसूल योग्य है एवं ऐसी तारीख, जिस पर इन निवेशों को चालू निवेशों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, से एक वर्ष से अधिक रखने का अभिप्रेत नहीं है अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दीर्घावधि निवेशों को लागत पर लिया गया है। अस्थायी के अतिरिक्त, ऐसे निवेशों जिनका की मूल्य हो, के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

1.5 मूल्यह्रास

(i) परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा प्राक्कलन की गई दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से गणना करके लिया गया। स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास करने के लिए निम्निलिखित दरें उपयोग की गई हैं ।

परिसंपत्तियां	दरें (एस एल एम)
धावनपथ, टैक्सीपथ एवं एप्रन, रोड, पुल एवं कल्वर्त	13%
प्लांट एवं मशीनरी / वैद्युतिक प्रतिष्ठापन	11%
एक्स–रे बैगेज	11%
औजार एवं उपस्कर	20%
बिल्डिंग–टर्मिनल बिल्डिंग एवं अन्य	8%
बिल्डिंग – आवासीय	5%
बिल्डिंग लीज होल्ड	8%
बाउण्डरी दीवार (प्रचालन)	8%
बाउण्डरी दीवार (आवासीय)	5%
कार्यालय उपस्कर	18%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	20%
सी एफ टी एवं अग्निशमन उपस्कर	13%
वायुयान	10%
अन्य वाहन	14%
कम्प्यूटर, आइ टी हार्डवेयर एवं सहायक सामग्री	20%

(ii) 5000 से कम की परिसंपत्तियों को अर्जन के वर्ष पे पूरी तरह के मूल्यह्रास किया गया है ।

(iii) वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर आस्तियों को 180 अथवा अधिक दिनों तक उपयोग की स्थिति में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा जबकि आस्तियों को 180 दिनों से कम समय के लिए उपयोग में लाए जाने की स्थिति में मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष की दर से 50 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा ।

(iv) अस्थायी भवन, सुरक्षा बाड एवं अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% प्रभारित किया जाता है चाहे उसके उपयोग करने के दिन कितने भी हो ।

1.6 व्यापार प्राप्तियाँ

(i) सरकारी विभागों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों से (राज्य सरकारों सहित) 2 वर्षों से अधिक वसूली योग्य ऋण

को संदिग्ध ऋण माना गया है तथा दिखाया गया है।

(ii) माध्यस्थम की अवधि के कुछ भी हो विवादों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी / पर लेखों में आवश्यक प्रावधान किया गया है ।

(iii) उपलब्ध जमानत राशि पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते समय विचार नहीं किया गया है।

(iv) संदिग्ध ऋण के प्रावधान में सेवा कर देने की अवधि से कर्जदाताओं से बिल के आधार पर बाकी सेवा कर भी शामिल है ।

1.7 भंडार / स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपयोग किए गए भण्डार स्पेयर को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में भंडार स्पेयर के तथा उससे कम की इकाई लागत वाले भंडार ₹ 5000 (वर्षों की अवधि के 5 प्राप्ति की तारीख से) अतिरिक्त लिए एफआईएफओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित है। इसके पश्चात रुपये में परिवर्तनीय निम्नलिखित शुद्ध मूल्य निकाला जाता है तथा इसे लागत अथवा शुद्ध रुपए में परिवर्तनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है:–

छठे वर्ष में	लागत का 70%
सातवें वर्ष में	लागत का 40%
आठवां वर्ष एवं उससे आगे	लागत का 10%

(iii) 1.4.2005 को अनप्रयुक्त भण्डार / स्पेयर को लागत के 10% पर मूल्यांकित किया गया है।

1.8 अनुदान तथा सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करार के तहत आस्तियों के अधिग्रहण हेतु सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान / अर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुई राशियों को पूंजी अनुदान में दर्शाया गया है। आस्तियों के पूंजीकरण के समय उनके पुस्तक मूल्य में आस्तियों के सकल मूल्य से अनुदानों की कटौती की जाती है। कार्य सम्पन्न होने तक अनुदान को संबंधित कार्य के डब्ल्यू आई पी में कमी के रुप में दिखाया जाएगा। अनुदान व आस्ति की लागत समान होने पर आस्ति को ₹ 1 के नाममात्र मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

1.9 विदेशी मुद्रा का लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा का लेन–देन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर गणना की गई है ।

(ii) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में आस्तियों और ऋण / अन्य देयताओं का पुनर्निर्धारण वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दर्शाया गया है सिवाय एक्सचेंज अर्नर फारेन करेन्सी लेखों में शेष को छोड़कर जिसे ऐसे लेखों के लिए निर्धारित दरों के अधीन लेखा में शामिल किया गया है।

(iii) लेन–देन के समय विदेशी मुद्रा की दरों में अंतर के कारण लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया गया है या तो विदेशी मुद्रा घटा–बढ़ाव लेखा–शीर्ष में या ब्याज लागत लेखा–शीर्ष में, जैसा भी मामला हो।

1.10 विशेष मरम्मतें

(i) धावनपथों, टैक्सीपथों व एप्रनों आदि पर उनके पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर (पी सी एन) वैल्यू को मूल स्तर पर लाने के लिए विशेष मरम्मत के कार्यों पर हुए खर्च में कई बार पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर में हुई आकस्मिक वृध्दि को लाभ – हानि खाते में प्रभारित किया जाना है ।

(ii) सीएफटीएस को पुनः सुसज्जित करने हेतु किए गए व्यय को विशेष मरम्मतों के रुप में माना जाता है तथा व्यय वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है ।

(iii) आरईएसए पर व्यय को विशेष मरम्मत माना गया है तथा लाभ – हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

1.11 राजस्व रेकगनिशन

(i) राजस्व को अक्रुवल आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रुप में माना गया है तथा यह सेवा कर की शुद्ध राशि है ।

(ii) बिल उस समय जारी किए जाते है जब इनके मापन तथा अंततः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो।

(iii) कानूनी विवादों/पीपीई अधिनियम, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त), बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि जैसे मामलों में गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है।

(iv) ''सर्व इंडिया योजना'' के अधीन प्राप्त सीमा–शुल्क छूट प्रमाण पत्रों को अनुमानित उपयोग पर आधारित आय के रुप में गणना की जाती है।

(v) प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षिप्त कार्यो के संबंध मे विभागीय प्रभारों के रुप में उपार्जित आय की राशि को धनराशि प्राप्त होने अथवा अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया जाता है।

(vi) पिछले वर्षों के संबंध में प्रत्येक मामले में पांच लाख रूपए तक के आय एवं व्यय को चालू वर्ष के लेखे में लिया गया है।

1.12 आयकर

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के रुप में समायोजित किया गया है ।

1.13 आस्थगित कर

लेखा पुस्तिका तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अन्तराल के परिणामस्वरुप आस्थगित कर को तुलन पत्र की तारीख से लागू किया अथवा मूलभूत रुप में लागू कर दरों तथा कानूनों के प्रयोग से लेखा में शामिल किया गया है। आस्थगित कर आस्ति उस सीमा तक आगे ले जाई गई है जहाँ तक यह निश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी। जिस लेखे में ऐसी आस्थागित आस्तियाँ उगाही की जा सके ।

1.14 आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन–पत्र दिनांक को आस्तियों या नकद उत्पादक इकाईयों की आगे ले जाने वाली राशि की हानि की

जाँच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि:—

क) हानि से हुए नुकसान हेतु प्रावधान, यदि आवश्यकता हो तो

ख) पिछली अवधियों के दौरान माने गए हानि से हुए नुकसान के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता यदि हो तो। हानि से हुआ नुकसान तभी माना जाता है जब किसी आस्ति को आगे ले जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है ।

1.15 सेवानिवृत्ति लाभ

ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, सेवानिवृत कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ व समाधान लाभ के लिए प्रावधान एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर किया गया है ।

1.16 अन्य

(i) विशिष्ट आरक्षित का उपयोग बोर्ड द्वारा विशिष्ट आरक्षित के उपयोग हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

(ii) के. औ. सु. बल के लिए हथियारों की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय माना जाता है ।

(iii) तीन वर्षा से अधिक ई एम डी/सुरक्षा निक्षेप जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रुप में माना गया है ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों संबंधी नोट

2 पूंजी		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
पूंजी–भारत सरकार		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	656.56	656.56
जमा :		
वर्ष के दौरान जमा	-	-
	656.56	656.56

3 आरक्षित एवं अधिशेष		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
पूंजीगत आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	15.10	15.10
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	-	-
घटा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित		-
	15.10	15.10
पूंजीगत अनुदान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	37.05	547.11
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	110.55	47.54
घटा : वर्ष के दौरान प्रयुक्त/पुनर्भुगतान	108.45	557.60
	39.15	37.05
ऋणपत्र विमोचन आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	402.50	-
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	-	402.50
	402.50	402.50
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	16.45	-
जमा : वर्ष के दौरान जमा	14.70	-
घटा : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	6.15	-
	25.00	-

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
हवाईअड्डा विकास आरक्षित		
से स्थानांतरित शेष	-	-
- स्थिर परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित	1,433.81	
- आनुषंगिक आरक्षित	566.71	
- अप्रयुक्तप्राय आरक्षित	566.71	
जमा : पी एंड एल खाते से स्थानांतरित शेष	431.85	-
	2,999.08	
स्थिर परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1,433.81	1,320.98
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	-	112.83
घटा : हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित	1,433.81	-
	0.00	1,433.81
	-	-
आनुषंगिक आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	566.71	510.30
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	-	56.41
घटा : हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित	566.71	-
	0.00	566.71
	-	-
अप्रयुक्तप्राय आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	566.71	510.30
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	-	56.41
घटा : हवाईअड्डा विकास आरक्षित को स्थानांतरित	566.71	-
	0.00	566.71
	-	-
सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	5,189.76	5,253.77
जमा : लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	647.78	-
घटा : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	64.01
	5,837.54	5,189.76

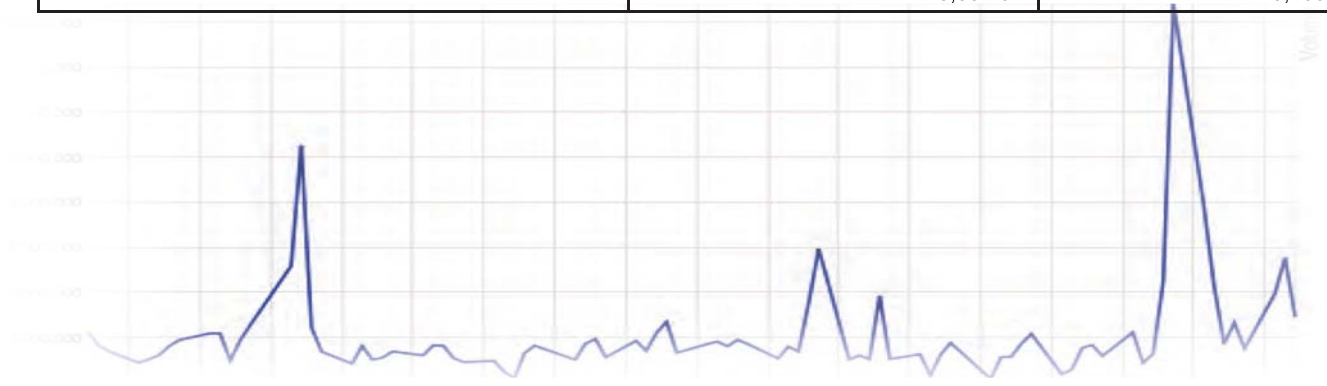

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
लाभ एवं हानि खाता		
वर्ष के लिए लाभ	1,441.06	735.00
घटा : विनियोग		
प्रस्तावित लाभांश	288.00	147.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	58.73	23.86
विशिष्ट आरक्षित में स्थानांतरित		
स्थिर परिसम्पत्ति प्रतिस्थापन आरक्षित		112.83
आनुषंगिक आरक्षित	-	56.41
अप्रयुक्तप्राय आरक्षित	-	56.41
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित	14.70	
ऋणपत्र विमोचन आरक्षित	-	402.50
हवाईअड्डा विकास आरक्षित	431.85	
सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित	647.78	(64.01)
	0.00	0.00
कुल–आरक्षित एवं अधिशेष	9,318.37	8,211.64

4 दीर्घकालिक उधारी

(₹ करोड़ में)

	दीर्घकालिक उधारी		वर्तमान परिपक्वताएं	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
सुरक्षित ऋण				
बांड्स :				
9.2% गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2013–सीरीज II	300.00	300.00	-	-
9.3% गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2013–सीरीज, III	215.00	215.00	-	-
गैर–सुरक्षित ऋण				
8.97% गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2016–सीरीज IV	595.00	595.00	-	-
8.6% गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय प्रतिदेय बांड्स, 2016–सीरीज V	500.00	500.00	-	-
अन्य ऋण	4.00	4.00	-	-
- विदेशी वित्तीय संस्थान *	43.21	41.15	2.26	2.04
	1,657.21	1,655.15	2.26	2.04

श्रेणी II– 10 लाख ₹ प्रत्येक का 9.20% सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय विमोचनीय बांड्स 2016, आबंटन की तिथि 21 फरवरी, 2011 से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर विमोचनीय बांड समरूप आधार पर सुरक्षित है। यह विभिन्न राजस्व जिसका सर्वे संख्या हन्सोल, शहर तालुका पर उपलब्ध गैर–कृषि भूमि को प्रति पीस पर प्रभारित अथवा पार्सल द्वारा दिया जाएगा।

श्रेणी III– 10 लाख ₹ प्रत्येक का 9.30% सुरक्षित गैर–परिर्वतनीय विमोचनीय बांड्स 2016, आबंटन की तिथि 14 सितम्बर, 2011 से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर विमोचनीय बांड समरूप आधार पर सुरक्षित है। यह विभिन्न राजस्व जिसका सर्वे संख्या हन्सोल, शहर तालुका पर उपलब्ध गैर–कृषि भूमि को प्रति पीस पर प्रभारित अथवा पार्सल द्वारा दिया जाएगा।

श्रेणी IV– 10 लाख ₹ प्रत्येक का 8.97% गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय विमोचनीय बांड्स 2016, आबंटन की तिथि 11 अक्टूबर, 2011 से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर सम मूल्य पर विमोचनीय।

श्रेणी V– 10 लाख ₹ प्रत्येक का गैर–सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय विमोचनीय बांड्स 2018, आबंटन की तिथि 17 जनवरी, 2013 से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर पुट/ काल विकल्प (17.1.2015) के साथ सममूल्य पर विमोचनीय।

*भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत

5 अन्य दीर्घ अवधि देयताएं		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
जमा	568.63	467.84
	568.63	467.84

6 दीर्घ कालीन प्रावधान		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान	964.61	1,689.69
प्रावधान – अन्य	447.40	447.40
	1,412.01	2,137.09

7 अल्पकालीन उधारियां		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
बैंक से आवधिक गैर–सुरक्षित ऋण	-	270.00
	-	270.00

8 ट्रेड देय		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
	385.13	310.98

9 अन्य वर्तमान देयताएं		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
दीर्घकालीन उधारियों की वर्तमान परिपक्वता	2.26	2.04
उपार्जित ब्याज लेकिन उधारियों पर बकाया नहीं	23.01	23.34
क्लाइंटों से अग्रिम	44.85	34.00
ऋणदाता – पूंजी	196.60	456.05
वर्तमान जमा	69.66	136.12
अन्य देयताएं	1,003.68	1,059.78
	1,340.06	1,711.33

10 अल्पकालीन		(₹ करोड़ में)
	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए	431.24	127.05
करों हेतु प्रावधान	3,707.88	2,628.52
प्रस्तावित लाभांश	288.00	147.00
अन्य प्रावधान	0.00	16.45
	4,427.12	2,919.02

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(₹ करोड़ में)

			सकल ब्लाक			मूल्यह्रास, परिशोधन तथा क्षति के कारण हानि				निवल ब्लाक	
क्रम सं.	विवरण	01.04.2013 को	अंतरित सहित जोड़े गए	अंतरित सहित समायोजित/हटाए गए	31.03.2014 को	31.03.2013 तक उपलब्ध कराया गया	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया	बिक्री /अंतरित के समायोजन	31.03.2014 तक कुल	31.03.2014 को	31.03.2013 को
11	**मूर्त परिसम्पत्तियां**										
	भूमि	252.68	0.09	0.00	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00	252.77	252.68
	भूमि लीज होल्ड	1.39	0.00	0.00	1.39	0.22	0.02	0.00	0.24	1.15	1.17
	रन व टैक्सी वे, एप्रन	2690.14	47.25	0.00	2737.39	2033.14	209.46	0.00	2242.60	494.79	657.00
	भवन	7545.48	387.98	1.86	7931.60	2440.34	492.50	1.14	2931.70	4999.90	5105.14
	भवन, लीज होल्ड	3.04	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	चार दीवारी	2.27	18.20	0.00	330.47	175.93	20.17	0.00	196.10	134.38	136.35
	संयंत्र एवं उपस्कर	6444.95	204.06	2.34	6646.67	3633.47	461.33	2.21	4092.59	2554.08	2811.48
	फर्नीचर एवं फिक्सर	194.86	6.52	0.32	201.06	153.38	13.56	0.32	166.62	34.45	41.48
	वाहन	628.97	2.10	2.00	629.07	458.43	44.27	1.96	500.74	128.33	170.54
	कार्यालय उपकरण	210.85	15.80	0.14	226.51	173.86	15.22	0.14	188.94	37.57	36.99
	उप योग (ए)	18284.63	682.00	6.66	18959.98	9071.81	1256.53	5.77	10322.57	8637.42	9212.83
12	**अमूर्त परिसम्पत्तियां**										
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	62.16	6.10	0.00	68.26	44.81	6.92	0.00	51.74	16.53	17.35
	उप योग (बी)	62.16	6.10	0.00	68.26	44.81	6.92	0.00	51.74	16.53	17.35
13	पूंजीगत जारी कार्य	1183.68	563.73	367.66	1379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1379.75	1183.68
	उप योग (सी)	1183.68	563.73	367.66	1379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1379.75	1183.68
14	विकासधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	21.87	5.05	3.06	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86	21.87
	उप योग (डी)	21.87	5.05	3.06	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86	21.87
	कुल योग (ए+बी+सी+डी) (वर्तमान वर्ष)	19552.34	1256.89	377.38	20431.85	9116.62	1263.45	5.77	10374.30	10057.56	10435.73
	पिछले साल	18248.85	5961.95	4658.46	19552.34	7947.74	1178.39	9.50	9116.63	10435.72	10301.11

प्राधिकरण के पास 55068.98 एकड़ भूमि का स्वामित्व निहित है जिसमें सी एस आई, मुंबई हवाईअड्डे (1966.76 एकड़) एवं आई जी आई नई दिल्ली हवाईअड्डे (4799.09 एकड़) की भूमि भी शामिल हैं जिन्हें संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात आई जी आई, दिल्ली को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (डी आई ए पी एल) तथा सी एस आई (मुंबई) हवाईअड्डे को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (एम आई ए पी एल) को दीर्घकालीन पट्टे पर सौंप दिया गया है । इसमें कावर्ड आउट परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं । उपरोक्त भूमि में से भूमि के कुछ भाग (लगभग

791.043 एकड़) पर विभिन्न हवाईअड्डों पर अतिक्रमण विद्यमान है । भाविप्रा के पक्ष में जहां कही भूमि का उत्परिवर्तन, टाइटल डीड्स का स्थानांतरण अब तक नहीं किया गया है, उसे करने तथा साथ–साथ भूमि पर विद्यमान अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है ।

विभिन्न हवाईअड्डों पर रक्षा मंत्रालय एवं भाविप्रा के बीच भूमि के स्थानांतरण की निबंधन एवं शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं । आई जी आई हवाईअड्डे, दिल्ली पर 56.78 एकड भूमि रक्षा मंत्रालय से ली गई थी तथा इसके लिए उन्होंने भाविप्रा से ₹ 53.61 करोड़ लेने हेतु दावा किया थ। ₹ 2 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा ₹ 51.61 करोड़ की राशि अभी बकाया है (पिछले वर्ष ₹ 51.61 करोड़) जिसे दर्शाया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर चेन्नई हवाईअड्डे के सामने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 515450 वर्ग मीटर भूमि सौंपी गई । 3881.40 वर्ग मीटर भूमि के लिए ₹ 7.11 करोड़ की मांग एन एच ए आई से की गई । शेष 1273.10 वर्ग मीटर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान पर सहमति एवं अंतिम रूप देना अभी बाकी है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे एकाउंट किया जाएगा। लखनऊ हवाईअड्डे के निकट लखनऊ बाईपास के निर्माण के लिए 6673.70 वर्ग मीटर भूमि एनएचएआई को दी गई। इस एकाउंट पर क्षतिपूर्ति के रूप में देय राशि पर अभी सहमति बननी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए मूल्यह्रास में वित्तीय वर्ष 13–14 में बंगलौर एवं हैदराबाद हवाई अड्डे पर चिन्हित हानिकरण हानियां शामिल हैं। इसमें भवन फ्री होल्ड का ₹ 1.66 करोड़ चारदीवारी का ₹ 0.55 करोड़, संयंत्र एवं उपस्कर के ₹ 3.72 करोड़ सहित कुल ₹ 5.43 करोड़ शामिल हैं।

इन परिसम्पत्तियों में से परिसम्पत्तियॉ (सकल ब्लॉक – ₹ 1.84 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/ शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़) अर्थात भवन फ्री होल्ड (सकल ब्लॉक – ₹ 0.02 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/ शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़) , संयंत्र एवं उपस्कर (सकल ब्लॉक – ₹ 1.48 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़) फर्नीचर एवं फिक्सचर (सकल ब्लॉक – ₹ 0.03 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़) वाहन (सकल ब्लॉक ₹ 0.26 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़), कार्यालय उपकरण (सकल ब्लॉक ₹ 0.05 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली मूल्य ₹ 0.00 करोड़) सक्रिय प्रयोग से बाहर हो चुके हैं। ऐसी परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यह्रास लेखा पुस्तकों में चार्ज नहीं किया गया है।

15 गैर–वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

	प्रति इक्वीटी शेयर अंकित मूल्य	इक्वीटी शेयरों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
दीर्घकालीन (निवेश लागत पर)				
बिना कोट किया हुआ व्यापार निवेश				
संयुक्त उद्यम कंपनियों की पूर्णरूपेण चुकता इक्युटी शेयरों में				
हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (एचआईएएल)	10/- प्रति शेयर	49140000.00	49.14	49.14
बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (बीआईएएल)	10/- प्रति शेयर	49998000.00	50.00	50.00
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डीआईएएल)	10/- प्रति शेयर	637000000.00	637.00	637.00
मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (एमआईएएल)	10/- प्रति शेयर	312000000.00	312.00	312.00
राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रा. लि. (गोंदिया)	10/- प्रति शेयर	33092443.00	33.09	33.09
मिहान इंडिया प्रा. लि. (मिहान)	10/- प्रति शेयर	9800000.00	9.80	4.90
चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लि.	10/- प्रति शेयर	5100000.00	5.10	5.10
			1,096.13	1,091.23

16 आस्थगित कर सम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
आस्थगित कर सम्पत्तियां	1,067.66	999.96
	1,067.66	999.96

17 दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2012–13
निवेश हेतु अग्रिम – संयुक्त उद्यम कंपनियां		88.21		-
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
सुरक्षित, अच्छा माने जाने वाला	109.22		87.60	
		109.22		87.60
जमा				
गैर–सुरक्षित, अच्छा माना जाने वाला	114.53		79.76	
		114.53		79.76
कर्मचारी ऋण				
सुरक्षित, अच्छा माने जाने वाला	326.61		265.29	
		326.61		265.29
अन्य दीर्घकालीन ऋण				
गैर–सुरक्षित, अच्छा माने जाने वाला	0.11		0.11	
		0.11		0.11
		638.68		432.76

18 अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
	-	-

19 माल सूची

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
भंडार एवं स्पेयर्स	57.80	53.15
पारगमन में सामान	-	2.21
	57.80	55.36

20 ट्रेड से प्राप्त

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2012–13	
छः माह से ज्यादा :	1,968.02		693.83	
छः माह के अंदर	840.81	2,808.83	1,860.49	2,554.32
घटा : अशोध्य संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		(1023.27)		(960.34)
		1,785.56		1,593.98
टिप्पणी :				
(क) सुरक्षित, अच्छा माना गया		227.28		529.36
(ख) गैर–सुरक्षित, अच्छा माना गया		1,558.28		1,064.62
(ग) संदिग्ध		1,023.27		960.34

21 नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2012–13	
नकद एवं नकद समतुल्य				
बैंकों के पास शेष #	62.32		79.98	
उपलब्ध चैक / ड्राफ्ट	1.15		4.11	
उपलब्ध नगद	0.18		0.15	
मार्गस्थ प्रेषित राशि	1.04		0.10	
अग्रदाय	0.00		1.05	
		64.69		85.39
अन्य बैंक शेष				
मार्जिन राशि	0.09			
बैंक जमा	1,077.00	1,077.09	0.26	0.26
		1,141.78		85.65

बैंक के पास शेष में 37.86 करोड़ रूपये राशि का यूएस डालर में ईईएफसी अकाउंट शामिल है।

22 अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
अल्प अवधि कर्मचारी अग्रिम	87.96	67.20
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम/ कार्य	6.52	3.15
अग्रिम कर एवं टीडीएस	3,413.02	2,952.85
अन्य अग्रिम	24.41	28.65
पूर्वदत्त खर्चे	10.65	11.01
	3,542.56	3,062.86

23 अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13
बिना बिल का राजस्व	266.17	218.36
जेवीसी से प्राप्य	88.72	363.31
निवेश/जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	22.39	0.33
पेंडिंग जांच के कारण हानि	0.08	0.08
	377.36	582.08

24 विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं

(₹ करोड़ में)

		2013-14	2012-13
	रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी)	1,915.07	1,796.95
	टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी)	314.63	290.69
		2,229.70	2,087.64

25 विमानपत्तन सेवाएं

(₹ करोड़ में)

			2013-14		2012-13
	लैंडिंग, पार्किंग व हाउसिंग (एलपीएच)		622.58		432.28
	यात्री सेवा शुल्क				
	फेसिलिटेशन	208.57		260.94	
	सुरक्षा	480.69	689.26	442.32	703.26
	प्रयोक्ता विकास शुल्क				
	अंतरराष्ट्रीय यात्री	267.71		115.84	
	घरेलू यात्री	257.72	525.43	61.07	176.91
	तेल थ्रूपुट राजस्व		104.48		115.34
	ग्राउंड हैण्डलिंग		93.50		81.24
	सेवा घंटों का विस्तार		2.57		12.41
	क्यूट शुल्क पर रॉयल्टी		60.47		26.62
			2,098.29		1,548.06

26	गैर–वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	किराया एवं सेवाएं	329.76	300.88
	व्यापार छूट	373.73	328.43
	कार पार्किंग	54.56	57.26
	कुली की मजदूरी	1.95	0.54
	प्रवेश शुल्क / वाणिज्यिक पास	22.17	21.74
	आरामगृह	1.76	2.37
	हाइट क्लीयरेंस–एनओसी	13.32	4.52
	परामर्श सेवाएं	0.60	2.32
	विविध गैर एयरोनॉटिकल विमानपत्तन सेवाएं	16.43	(0.11)
		814.28	717.95

27	कार्गो राजस्व		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	कार्गो राजस्व	192.00	176.96
		192.00	176.96

28	एयरपोर्ट लीज राजस्व				(₹ करोड़ में)
			2013-14		2012-13
	शुरूआती शुल्क		10.37		10.37
	वार्षिक शुल्क				
	डीआईएएल	1,838.06		1,533.16	
	एमआईएएल	835.92	2,673.98	571.79	2,104.95
			2,684.35		2,115.32

29	अन्य आय		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	ब्याज से आय	158.59	81.73
	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	3.19	1.79
	प्रशिक्षण संस्थाओं से आय	2.01	0.57
	विविध आय	(27.24)	108.66
	ब्याज एवं जुर्माना	9.69	8.32
	कर्मचारी संबंधित वसूली	5.18	2.08
		151.42	203.15

30	कर्मचारी लाभ व्यय		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	वेतन एवं भत्ते	1,696.90	1,386.07
	अन्य स्टाफ व्यय	581.36	1,045.61
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	133.90	120.98
	घटाया गया– प्रचालन सहायता लागत– जेवीसी से वसूली	(14.30)	(3.04)
		2,397.86	2,549.62

31	प्रचालन व्यय				(₹ करोड़ में)
			2013-14		2012-13
	किराया दरें एवं कर		8.83		8.46
	नगरपालिका कर		12.06		31.69
	बीमा		2.11		2.71
	विज्ञापन एवं प्रचार		12.28		7.67
	स्टोर एवं स्पेयर का उपयोग		33.46		42.72
	मरम्मत एवं अनुरक्षण				
	सिविल कार्य	116.40		143.40	
	विद्युत कार्य	119.81		101.64	
	वाहन	9.77		9.12	
	उपस्कर एवं फर्नीचर	13.71		1.08	
	इलैक्ट्रानिक्स–एयरपोर्ट प्रणाली	65.04		71.65	
	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	20.12	344.85	10.86	337.75
	मौसम विज्ञान संबंधी सेवा प्रभार		105.11		63.20
	विद्युत एवं जल प्रभार		343.47		245.40
	रखरखाव व्यय		23.80		17.35
	बागवानी व्यय				1.85
			887.89		758.80

32	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय				(₹ करोड़ में)
	ब्यौरे		2013-14		2012-13
	विधिक शुल्क		3.32		3.91
	परामर्श सेवाएं		3.50		2.40
	मालभाड़ा प्रभार		0.94		-
	डाक एवं कुरियर प्रभार		1.02		0.89
	दूरभाष, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार		6.17		7.44
	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		6.80		6.50
	लीज रेन्टल		2.09		4.81
	प्रशिक्षण व्यय		2.90		4.45
	यात्रा लाभ		43.36		45.49
	अनुसंधान एवं विकास		5.41		-
	परिसंपत्तियों पर हानि तथा बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां		0.03		0.29
	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		62.93		161.76
	राजभाषा पर व्यय		0.76		0.73
	बोर्ड सदस्यों का पारिश्रमिक		1.83		1.40
	प्रशिक्षण केन्द्र का अनुदान		1.01		0.83
	पूर्व अवधि समायोजन (विवरण हेतु नोट 36 का संदर्भ देखें)		(111.78)		(68.28)
	अंकेक्षकों को भुगतान				
	सीएजी वैधानिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क	4.00		3.02	
	अन्य सेवाओं का शुल्क	0.08	4.08	0.00	3.02
	बट्टे खाते डाले गए अंशोध्य ऋण		172.70		115.82
	किराया प्रभार		19.32		9.54
	वाच एण्ड वार्ड/सुरक्षा ठेका		26.09		23.37
	वसूली प्रभार		21.08		60.08
	गारंटी शुल्क		2.18		2.15
	मध्यस्थता व्यय		6.11		0.63
	विविध		33.37		(40.77)
			315.22		346.46

33	वित्तीय लागत		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	उधार पर व्यय	125.30	31.05
	अन्य वित्तीय प्रभार	29.47	39.47
		154.77	70.52

34	सुरक्षा व्यय		(₹ करोड़ में)
	विवरण	2013-14	2012-13
	एविएशन सिक्योरिटी फोर्स–सीआईएसएफ	553.60	507.92
	अन्य सिक्योरिटी एजेंसियाँ–राज्य पुलिस सहित	39.12	25.29
		592.72	533.21

35	अपवादिक मदें		(₹ करोड़ में)
		2013-14	2012-13
	पुराना एन्टीहाइजैकिंग प्रावधान वापस लिया गया	(67.38)	0.00
		(67.38)	0.00

36	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (कुल)			(₹ करोड़ में)	
			2013-14		2012-13
	(क) व्यय				
	कर्मचारी लाभ व्यय	0.80		0.16	
	प्रचालनात्मक लाभ	(8.33)		0.34	
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	-		(43.86)	
	अवमूल्यन तथा परिशोधन खर्चे	(105.19)		(42.74)	
	सुरक्षा व्यय	-		-	
			(112.72)		(86.10)
	(ख) आय				
	विमानपत्तन दिक्चालन सेवाएं	(0.58)		1.31	
	विमानपत्तन सेवाएं	(0.14)		0.01	
	गैर वैमानिक विमानपत्तन सेवाएं	-		0.88	
	कार्गो राजस्व	-		2.57	
	अन्य आय	(0.22)		(22.59)	
			(0.94)		(17.82)
			(111.78)		(68.28)

37. "कर्मचारी लाभ" पर ए.एस 15(संशोधित) के अधीन प्रकटीकरण

निर्धारित अंशदान प्लानः–

भाविप्रा पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि हेतु निश्चित अंशदान देता है जो इस निधि को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस निधि को अवधि के दौरान दिए गए अंशदान व्यय के रुप में दर्शाया जाता है तथा लाभ व हानि खाते में दर्ज होता है।

निर्धारित लाभ प्लानः–

क) **अवकाशः** भाविप्रा अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश एवं अर्ध–वेतन अवकाश का लाभ देता है जोकि क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से उपार्जित होता है। अर्जित अवकाश को सेवाकाल के दौरान नकदीकरण कराया जा सकता है बशर्ते नकदीकरण के समय 30 दिन का अवकाश खाते में शेष हो तथा सेवानिवृति पर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जाता है। अर्धवेतन अवकाश का सेवानिवृत्ति पर पूरा नकदीकरण कराया जा सकता है। इनकी देयता की गणना एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाः**– सेवानिवृत कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति को एक बारगी निर्धारित अंशदान के बदले चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है बशर्ते कि उसने 10 वर्ष की लगातार सेवा की हो। यह योजना स्वैच्छिक है। यह योजना गैर अनुदानित है तथा एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

ग) **उपदानः**– प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के बदले 15 दिन का वेतन उपदान के रुप में दिया जाता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की अवधि सेवा पूरी की गई हो। दिनांक 24.05.2010 से इसकी उच्चतम सीमा ₹ 10 लाख निर्धारित की गई है।

घ) **हितकारी निधि योजनाः**– सेवाकाल के दौरान ₹ 26/– प्रतिमाह के अंशदान के बदले एक कर्मचारी सेवानिवृति के बाद 5 वर्षो तक प्रत्येक माह ₹ 1560/– प्राप्त करने का हकदार है।

ङ) **सेवानिवृति पश्चात सेटलमेंन्ट लाभः**– सेवानिवृति पर कर्मचारी (तथा उसके आश्रित) पूरे भारत में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सैटल होने के हकदार हैं। वे सेवाकालीन कर्मचारी की भांति ही स्थानांतरण यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यह योजना गैर अनुपादित है तथा एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक आधार पर लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित की जाती है।

i) लाभ एवं हानि खाते में प्रदर्शित किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
चालू सेवा लागत	30.77	18.94	35.14	47.27	1.42	1.51
बेनिफिट आब्लीगेशन पर ब्याज लागत	67.59	62.73	27.35	19.13	7.35	7.94
प्लान परिसंपत्तियों पर अनुमानित लाभ	(11.03)	(8.14)	-	-	-	-
वर्ष के दौरान पहचाने गए कुल एक्यूरियल लाभ/हानि	(105.72)	73.17	(0.22)	76.50	(10.25)	(10.55)
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए लागत	(18.40)	146.70	62.27	142.90	(1.48)	(1.10)

ii) तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
शुरूआती कुल देनदारी	718.03	643.34	341.83	225.01	91.92	93.36
उपरोक्तानुसार व्यय	(18.40)	146.70	62.27	142.90	(1.48)	(1.10)
नियोक्ता का अंशदान/भुगतानित लाभ	(0. 13)	(11.92)	(27.28)	(26.08)	(0.35)	(0.34)
नियोक्ता अंशदान	(747.00)	(60.00)				
तुलन पत्र में पहचानी गई कुल परिसंपत्तियां/देनदारियां	(47.50)	718.03	376.82	341.83	90.09	91.92

iii) निश्चित बेनिफिट अब्लिगेशन के वर्तमान मूल्य में बदलाव

(₹ करोड़ में)

	उपदान		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		सेवानिवृत्ति पश्चात सेंटलमेंट लाभ	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
वर्तमान अवधि की शुरूआत में अब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	844.86	737.94	341.83	225.01	91.92	93.36
ब्याज लागत	67.59	62.73	27.35	19.13	7.35	7.94
वर्तमान सेवा लागत	30.77	18.94	35.14	47.27	1.42	1.51
सीधे नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए लाभ	(0.13)	(11.92)	(27.28)	(26.08)	(0.35)	(0.34)
निधि में से भुगतान किए गए लाभ	(52.63)	(39.29)				
अब्लिगेशन पर कुल एक्चुरियल लाभ/हानि	(94.96)	76.57	(0.22)	76.50	(10.25)	(10.55)
वर्तमान अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ देयताओं की वर्तमान कीमत	795.49	844.97	376.82	341.83	90.09	91.92

** बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध निधि सहित

iv) योजना परिसम्पत्तियों के मूल्य में परिवर्तन

	उपदान	(₹ करोड़ में)
	2013-14	**2012-13**
वर्ष के आरंभ में योजना परिसम्पत्तियों की कीमत	126.84	94.61
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	11.03	8.13
कर्मचारियों द्वारा योगदान	747.00	60.00
प्रदत्त लाभ	(52.64)	(39.291)
बीमाकंक लाभ/घाटा	1074.00	3.39
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों की कीमत	842.99	126.84

v) योजना परिसम्पत्तियों का विवरण (उपदान)

31 मार्च, 2014 को योजना परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नवत है:

	उपदान	(₹ करोड़ में)
विवरण	**2013-14**	**2012-13**
भारत सरकार की प्रतिभूतियां		
निगमित बांड		
विशेष जमा योजना		
बीमाकृत प्रबंधित निधि	537.14	126.84
अन्य	305.85	
कुल	842.99	126.84

vi) बीमाकंक पूर्वधारण

बीमाकंक मूल्यांकन हेतु प्रमुख पूर्वधारण निम्नवत है :

i) प्रयोग की जाने वाली विधि – प्रक्षेप इकाई क्रेडिट (पी यू सी)

ii) छूट दर (उपदान/छुट्टी नकदीकरण) -9.36% (पिछले वर्ष 8%)
छूट दर (पुर्नस्थापना/चिकित्सा अभिलाभ) -9.27 % (पिछला वर्ष 8%)

iii) परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ की अनुमानित दर (केवल उपदान) 8.7% (पिछला वर्ष 8.7%)

iv) भविष्य में वेतन वृद्धि - 7% (पिछला वर्ष 7%)

v) क्षयण दर 2% (पिछला वर्ष 2%)

बीमाकंक मूल्यांकन में भावी वेतनवृद्धि के अनुमान में मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारण जैसे कि रोजगार क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति पर विचार किया गया है आगे योजना परिसम्पत्तियों में अनुमानित प्रतिलाभ में अनेक कारकों जिसमें प्रमुख रूप से योजना परिसम्पत्तियों के गठन, परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में अनुमानित जोखिम तथा योजना परिसम्पत्तियों के ऐतिहासिक प्रतिलाभ पर विचार कर अनुमान लगाया गया है।

38. "उधार लागत" पर लेखा मानक 16 के अंतर्गत प्रकटन

वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी का उधार लागत निर्धारित/पूंजीकृत ₹ 19.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 124.99 करोड़ रहा।)

39. "संबंधित पार्टी प्रकटन" पर लेखा मानक 18 के अंतर्गत प्रकटन

i) संबंधित पार्टी

संयुक्त उद्यम का नाम	स्वामित्व	
	31.03.2014	31.03.2013
क) दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. (डीआईएपीएल)	26%	26%
ख) मुंबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. (एमआईएपीएल)	26%	26%
ग) हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. (एचआईएएल) (सीएपी : ₹ 50 करोड़)	13%	13%
घ) बंगलूरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रा. लि. (बीआईएएल) (सीएपी : ₹ 50 करोड़)	13%	13%
ड) राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान गोंडिया (एनएफटीआईपीएल)	46%	46%
च) मिहान इंडिया प्रा. लि. नागपुर (एमआईएल)	49%	49%
छ) चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लि. (सीएचआईएएल)	51%	51%
ज) भारतीय विमानन अकादमी (आईएए)	स्वायत्त संस्था	

ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री वी.पी. अग्रवाल, अध्यक्ष, 23 जनवरी, 2014 तक
श्री आलोक सिन्हा, अध्यक्ष, 24 जनवरी, 2014 को
श्री के.के. झा, सदस्य (मानव संसाधन)
श्री एस. रहेजा, सदस्य (योजना)
श्री वी. सोमासुन्दरम, सदस्य (एएनएस)
श्री एस, सुरेश, सदस्य (वित्त)
श्री जी. के. चौकियाल, सदस्य (प्रचालन)
श्री वी. के. दत्ता, कार्यपालक निदेशक (एटीएम)
श्री एम. सी. किशोर, कार्यपालक निदेशक (सीए) और (सीएस)
श्री अनुज अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक (के आई डी)

iii) संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 13–14	वित्तीय वर्ष 12–13
जे वी सी से प्राप्त वार्षिक शुल्क		
डीआईएपीएल	1838.04	1533.16
एमआईएपीएल	835.93	571.79
वर्ष के दौरान इक्विटी अंशदान		
एमआईएल	4.90	-
एनएफटीआईपीएल गोंडिया	-	4.29
सीएचआईएएल	-	5.10
प्रचालन सपोर्ट लागत/सेवानिवृत मुआवजा से प्राप्त		
डीआईएपीएल	19.07	19.38
एमआईएपीएल	20.78	21.13
अन्य प्राप्तियां		
डीआईएपीएल	1.91	21.29
एमआईएपीएल	-	11.05
मिहान इंडिया लि. (एमआईएल)		
प्रचालन सपोर्ट लागत से प्राप्त होने वाली राशि	59.13	44.44
देय राशि	4.98	4.29
निवेश हेतु अग्रिम		
एनएफटीआईपीएल	2.94	-
मिहान इंडिया लि. (एमआईएल)	85.27	-
भारतीय विमानन अकादमी से रनिंग लागत हेतु प्राप्त होने वाली राशि	2.02	1.66

iv) ₹ 195.78 करोड (₹ 67.38 करोड़ – पिछले वर्ष) की राशि प्रगति पर कार्य को सम्मिलित कर सीएचआईएएल के पक्ष में परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित है।

v) नागपुर हवाई अड्डे पर भा.वि.प्रा. की ₹ 85.27 करोड़ की परिसम्पत्ति एम आई एल को सौंपी गई है जोकि भा.वि.प्रा. द्वारा एम आई एल में इक्विटी अंशदान हेतु इसे अग्रिम में दर्शाया गया है जब तक जेवीसी की प्राधिकृत पूँजी में वृद्धि नहीं होगी तथा शेयर जारी नहीं होते।

vi) भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार नियामार का नाम बदलकर भारतीय विमानन अकादमी (आईएए) रख दिया गया है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत जुलाई 2010 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गई। भा.वि.प्रा., डी.जी.सी.ए. तथा बी.सी.ए.एस. के बीच आई.ए.ए. में प्रशिक्षण देने तथा होने वाले व्यय की हिस्सेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रत्येक निकाय द्वारा व्यय के अनुपालन के संबंध में लंबित निर्णय पर वर्ष के दौरान हुए व्यय की दो– तिहाई राशि ₹ 2.02 करोड़ रही तथा इसे भा.वि.प्रा. के लेखा में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार डी.जी.सी.ए./बी.सी.ए.एस. से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में दर्शाया गया है ।

40 'पट्टे' पर लेखा मानक – 19 के अंतर्गत प्रकटन

आईजीआई (दिल्ली) तथा सीएसआई (मुंबई) हवाई अड्डों का प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास

(i) आईजीआई हवाई अड्डा (दिल्ली) तथा सीएसआई हवाई अड्डा (मुंबई) के प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास 3 मई 2006 को आपरेटिंग पट्टे पर डीआईएएल तथा एमआईएएल को सौपी गई जो कि 30 वर्षों की आरंभिक अवधि है जिसे अन्य 30 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, हेतु राजस्व हिस्सेदारी माडल के आधार पर है ।

(ii) भा.वि.प्रा. की (सकल ब्लॉक ₹ 1.89 करोड़) मैसर्स एम.आई.ए.एल. द्वारा सी.एस.आई. हवाई अड्डे, मुंबई आधुनिकीकरण हेतु नष्ट की गई इसके परिणामस्वरूप वर्ष के नियत परिसम्पत्ति की बिक्री के कारण ₹ 0.38 करोड़ की राशि को घाटे में दर्शाया गया है तथा एकत्रित घाटे सहित सकल ब्लॉक को लेखा बही से निकाल दिया गया है । भा.वि.प्रा. की परिसम्पति सकल ब्लॉक ₹ 0.97 करोड़ का मेसर्स डी.आई.ए.एल. द्वारा निपटान कर दिया गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 0.30 करोड़ नियत परिसम्पत्तियों की ब्रिकी पर लाभ में दर्शाया गया है ।

(iii) जेवीसी से प्राप्त वार्षिक शुल्क की गणना ओएमडीए के अंतर्गत निर्धारितों राजस्व के प्रतिशत के आधार पर डायल (₹ 18.39.04 करोड़) तथा मॉयल (₹ 835.92 करोड़) कुल ₹ 2673.96 करोड़ की हवाई अड्डों को पट्टों पर देने से आय शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं घाटे लेखा में दर्शाया गया है लागत मूल्यह्रास को शामिल कर लाभ तथा घाटे लेखा में व्यय के रूप में दर्शाया गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कानूनी लागत इत्यादि को लाभ एवं घाटे लेखा में सीधे रूप में दिखाया गया है ।

(iv) ओएमडीए के अनुसार, 3 वर्षों की अवधि की प्रचालन सपोर्ट अवधि 2 मई 2009 को समाप्त हो गई। वर्ष के दौरान ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ओएमडीए की शर्तों के अनुसार विलय हेतु विकल्प नहीं दिया था, के लिए सेवानिवृति लाभ हेतु जेवीसी से ₹ 40.51 करोड़ (मायल ₹ 20.78 करोड़ तथा डायल ₹ 19.7 करोड़) की राशि प्राप्त हुई थी। यह राशि वेतन एवं भत्तों, सेवानिवृति तथा वी आर एस लागत के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। डायल द्वारा प्राप्त ₹ 1.91 करोड़ की राशि 2012–13 एमएएफ में कमी के स्थान में से प्राप्त होगी ।

(v) भाविप्रा ने पत्र सं0 भाविप्रा/जेवीसी–14/वीआरएस/2011–12 के माध्यम से 1.05.2009 से दस वर्षों की अवधि हेतु ओएनडीए के अनुसार विलय के विकल्प को न लेने वाले कर्मचारियों हेतु सेवानिवृति–लाभ के भुगतान हेतु डायल एवं मायल को अनुमति दे दी है तदनुसार, भा.वि.प्रा. ने दस वर्षो की अवधि हेतु सेवानिवृति लाभ के संबंध में डायल एवं मायल से प्राप्त होने वाली मासिक राशि की गणना कर दी है। अप्रैल, 2014 से अप्रैल, 2019 के दौरान डायल से ₹ 89.47 करोड़ तथा मायल से ₹ 97.23 करोड़ की राशि संग्रहित की जाने वाली है ।

(vi) सेवा कर विभाग ने ओएमडीए के अंतर्गत 3 मई

2006 से 31 मार्च 2012 तथा डायल एवं मायल से प्राप्त वार्षिक शुल्क तथा अपफ्रंट शुल्क के बारे में 01.06.2009, 21.01.2011, 21.10.2012 तथा 05.10.2012 तथा 23.05.2014 के माध्यम से मांग–सह–कारण बताओं नोटिस जारी कर ₹ 288.53 करोड़, ₹ 96.88 करोड़ तथा ₹ 106.71 करोड़ तथा ₹ 126.42 करोड तथा ₹ 260.17 करोड़ की मांग की है। हॉलाकि, 2008 (डायल तथा मायल से भा.वि.प्रा. को प्राप्त वार्षिक शुल्क तथा अपफ्रंट राशि पर सेवा कर की प्रयोज्यता पर डायल तथा मायल द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने स्टे आदेश दिया है तथा मामला कोर्ट में विचाराधीन है सेवाकर विभाग ने 2006–07 से 2011–12 की अवधि में सेवाकरों जुर्माना सहित ₹ 816.58 करोड की देनदारियां निर्धारित की है निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण आदेश जारी किया है कि वित्त अधिनियम 1994 के अंतर्गत भा वि प्रा से देय सेवाकर की तिथि से भुगतान तिथि की अवधि तक उचित दर पर ब्याज वसूला जाएगा। भा.वि.प्रा. ने उक्त न्याय निर्णयन आदेश के लिए सीईएसटीएटी में अपील दायर की है ।

(vii) भारत सरकार तथा डायल एवं मायल के बीच राज्य सपोर्ट करार की शर्तो के अनुसार ओएमडीए के रद्द अथवा समाप्ति पर भा.वि.प्रा द्वारा हस्तांरित परिसम्पत्तियों तथा गैर–हस्तांतरित की खरीद के संबंध में भा.वि.प्रा. द्वारा जेवीसी को भुगतान करने हेतु भा.वि.प्रा. के पक्ष से भारत सरकार ने जेवीसी गारंटी दी है। भा.वि.प्रा. ने भारत सरकार को काउंटर गारंटी दी है।

(viii) एईआरए ने अपने आदेश सं0 28/2011–12 दिनांक 08.11.2011 तथा तदुपरान्त संशोधित आदेश सं0 30/2012–13 दिनांक 28.12.2012 के माध्यम से डायल द्वारा आईजीआई हवाई अड्डा पर विकास शुल्क (डीएफ) के संग्रहण तथा वसूली हेतु अनुमोदन दिया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विकास शुल्क नियम 2011 के अनुसार ही इस राशि को सभी प्रमुख हवाई अड्डों प्राप्तियों की नियमित करने के लिए एसक्रा बैंक खाता खोला है । इस बैंक खाते में एकत्रित होने वाली राशि को एईआरए द्वारा डीएफ के प्रत्याभूति के विरूद्ध ऋण के भुगतान हेतु उपयोग किया जाएगा ।

इस बैंक खाता का सार निम्नवत है।

क) 31.03.2014 को डायल द्वारा दी गई राशि **₹ 385.52 करोड़**

ख) 31.03.2014 को इसक्रो राशि के लेखा को डायल को दिया जाएगा ताकि डीएफ नियम के रूप में ऋण एवं सेवा कर का भुगतान किया जाए । **₹ 18.41 करोड़**

(ix) एईआरए ने अपने आदेश सं0 2/2012–13 दिनांक 16.4.2012 तथा तदुपरान्त संशोधित आदेश सं0 29/2012–13 दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से डायल द्वारा आईजीआई हवाई अड्डा पर विकास शुल्क (डीएफ) के संग्रहण तथा वसूली हेतु अनुमोदन दिया है। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विकास शुल्क नियम 2011 के अनुसार ही इस राशि को सभी प्रमुख हवाई अड्डों प्राप्तियों की नियमित करने के लिए एसक्रो बैंक खाता खोला है । इस बैंक खाते में एकत्रित होने वाली राशि को ए ई आर ए द्वारा डी एफ के प्रत्याभूति के विरूद्ध ऋण के भुगतान

हेतु उपयोग किया जाएगा ।

इस बैंक खाते का सार निम्नवत है ।

क) 31.03.2014 को मायल द्वारा दी गई राशि **₹ 323.05 करोड़**

ख) 31.03.2014 को इसक्रो राशि के लेखा को मायल को दिया जाएगा ताकि डीएफ नियम के रूप में ऋण एवं सेवा कर का भुगतान किया जाए। **₹ 6.70 करोड़**

(x) भा.वि.प्रा. ने दिल्ली तथा मुंबई (डायल/मायल) के जेवीसी प्रचालनों से अनुरोध किया है कि भावी विचार हेतु मार्केटिंग निधि के संग्रहण सीमा–शुल्क डयूटी स्क्रिप की उपयोगिता परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ एयर इंडिया इत्यादि से प्राप्त राजस्व को शामिल न कर मासिक शुल्क के भुगतान से ब्याज निकाल कर प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी दें । इसकी ओ आई ओ सी बैठकों में तथा अनुवर्ती बैठकों में चर्चा की जा रही है । इस मामले के शांतिपूर्वक सेटेलमेंट हेतु जे वी प्रचालकों से चर्चा की जा रही है ।

मौजूदा पट्टे सम्पति कर इत्यादि के संग्रहण से प्राप्त आय की भा.वि.प्रा. तथा जेवीसी के बीच हिस्सेदारी में क्या संपूर्ण राशि भा.वि.प्रा. को दी जाए अथवा ओएमडीए के अनुसार बॉटी जाए, नागर विमानन मंत्रालय ने भा.वि.प्रा. को निदेश दिए है कि विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय की राय के अनुसार कार्य करें । अतः मौजूदा पट्टे से प्राप्त आय को ओएमडीए के अनुसार जेवीसी द्वारा हिस्सेदारी की जाएगी ।

41. ए एस 22 आस्थागित कर के अंतर्गत प्रकटन

'आय पर कर हेतु लेखा' पर ए एस 22 के अनुसार 31 मार्च 2014 को निवल आस्थागित कर का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

मद	2013-14	2012-13
बही तथा कर मूल्यह्रास के बीच अंतर	227.56	231.89
अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण का प्रावधान	347.81	311.58
नगर निगम कर	13.90	22.23
छुट्टी नकदीकरण सेवानिवृत कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना	332.53	290.33
सेवानिवृत कर्मचारियों के पुनः स्थापन हेतु प्रावधान	30.62	29.82
कल्याण हितकारी निधि	37.68	36.71
जेवीसी से प्राप्त अपफ्रंट शुल्क	77.56	77.40
आस्थगित कर परिसम्पत्ति (देनदारियां)	1067.66	999.96

42. परिसम्पत्तियों के हानिकरण पर लेखा मानक–28 के अंतर्गत प्रकटन

''परिसम्पतियों के हानिकरण'' एएस 28 के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए 36 हवाई अड्डों की परिसम्पत्तियों के हानिकरण का विश्लेषण बाहरी एजेंसी द्वारा करवाया गया है। एजेंसी ने बैलेंस शीट तिथि से अनुमान लगाया कि परिसम्पत्तियों के हानिकरण के संबंध में क्या कोई सूचना है। अनुमान के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि केवल हैदराबाद में ₹ 6.87 लाख तथा बेंगलूर में ₹ 536.28 लाख का हानिकरण घाटा हुआ है जोकि बही में दर्शाया गया है । प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि में भी आकलन किया गया है कि क्या कोई संकेत है कि लेखा अवधि से पूर्व हानिकरण व्यय हुआ है या यह कम हुआ है ।

43. अन्य प्रकटन

i) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा सहित ऋण पत्र पर संविदा की अनुमानित राशि का ही निष्पादन किया जाना है तथा बैलेंस शीट तिथि पर ₹ 886.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 599.40) की राशि उपलब्ध नहीं है।

ii) अन्य प्रतिबद्धताएं

क) पूर्व केसीएसआई हवाई अड्डे पर 2002–03 से 2012–13 की अवधि हेतु कैजुअल श्रमिकों के भविष्य निधि अंशदान का ब्याज सहित फुटकर ऋणदाता ₹ 40.64 लाख है ।

44. आकस्मिक देनदारियाँ

ऋण न माने गए दावे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
भूमि मामले	49513.27	48749.45
दुर्घटना का मुआवजा दावा	2014.86	1969.73
माध्यस्थम के तहत मामले	42826.98	47948.76
कार्गो के अंतर्गत दावें	1297.37	1555.81
न्यायालय के मामले	24703.68	17800.81
बिक्रीकर/नगरपालिका कर/आयकर इत्यादि	46760.37	18299.20
अन्य	8422.86	7880.20
कुल	**175539.39**	**144204.46**

45. निष्पादित प्रतिभूतियां

वर्ष के दौरान ₹ 18.64 करोड़ की प्रतिभूति राज्य विद्युत कंपनियों तथा दूर संचार विभाग को जारी की गई।

46. लेखा नीतियों में बदलाव के प्रमाण

क) आरईएसए से पूंजीगत शीर्ष में आरंभिक व्यय के कारण लेखा नीतियों में बदलाव के प्रमाण तथा लाभ एवं हानि के व्यय के परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष में लाभ में ₹ 6.06 करोड़ वृद्धि हुई।

47. विदेशी मुद्राओं में व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2013-12
पूंजीगत वस्तुओं की खरीद	187.26	140.38
कलपुर्जे	7.47	4.34
विदेशी यात्रा	25.10	6.34
परामर्शी	5.91	11.89
विदेशी ऋण का पुर्नभुगतान	2.33	2.09
अन्य	29.88	17.38
कुल	257.96	182.42

48. विदेशी विनियम में अर्जन

(₹ करोड़ में)

	2014-13	2013-12
सेवाएं	667.96	577.37

49 सामान्य

(i) किंगफीशर एयरलाइंस द्वारा देय यातायात तथा गैर–यातायात की ₹ 172.70 करोड़ की राशि को लेखों से बट्टे–खाते में डाल दिया गया है । देय की वसूली सहित पूर्व के गणना किए गए ब्याज सहित तथा भा.वि.प्रा लियन द्वारा एयरलाइंस की परिसम्पत्तियों सहित देयों को प्राप्त करने हेतु दीवानी मुकदमा दायर किया गया है ।

(ii) अग्रिम शेष / ग्राहक लेखा / देनदारियां इत्यादि पुष्टिकरण / लेखा समाधान के अधीन ।

(iii) नागर विमानन मंत्रालय, ऐरा, डीजीसीए और अन्य विभागों में पुनः तैनात भा.वि.प्रा. के कार्मिकों से संबंधित ₹ 6.20 करोड़ की धनराशि में वेतन व भत्ते शामिल है ।

(iv) हानि लंबित जांच राशि ₹ 7.77 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8.01 लाख) ।

(v) 3 मई 2013 को हमारे ट्रस्टी से प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, मेसर्स आई डी बी आई ट्रस्टीशिप सेवा लि0 भा.वि.प्रा. / निगमित कार्य मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिबेंचर रिडेंपशन रिजर्व (डीआरआर) का सृजन करना अपेक्षित है ।

(vi) ईपीएफओ ने अपने पत्र सं. 30.5.2012 के माध्यम से ईपीएफ एवं एफपी अधिनियम के 14 बी के अंतर्गत 04 / 1995 से मासिक अंशदान को देने में देरी हेतु ₹ 227.17 करोड़ की क्षतिपूर्ति मांगी है । भा.वि.प्रा. ने इस उगाही के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मुकदमा दायर किया है जिसकी सुनवाई मार्च 2015 है।

(vii) जुलाई 2012 में वित्तीय योजना पर टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से चयनित हवाई अड्डों (अर्थात चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर तथा गुवाहाटी हवाई अड्डा) पर प्रचालन, प्रबंधन तथा स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया की गई थी। तदनुसार 3 सितम्बर, 2013 को चेन्नई तथा लखनऊ हवाई अड्डे को आरएफक्यू जारी किया गया था तथा कोलकाता व गुवाहाटी हवाई अड्डे हेतु 19 सितम्बर 2013 को आर एफ क्यू जारी किया गया। अप्रैल 2014 में मंत्रालय ने चयनित हवाई अड्डे के आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि भी अनिश्चितकाल तक आगे बढाने के निर्णय से अवगत कराया। तदनुसार मंत्रालय ने नवंबर 2014 में भा.वि.प्रा. को छह चयनित हवाई अड्डे हेतु जारी आर एफ क्यू को निरस्त करने की सलाह दी तथा चेन्नई कोलकाता, अहमदाबाद तथा जयपुर हवाई अड्डे को पी पी पी के माध्यम से करने के निर्णय से अवगत कराया गया । तदनुसार, भा.वि.प्रा द्वारा 30 दिसंबर 2014 को इन चार हवाई अड्डों के प्रचालन प्रबंधन तथा विकास को पीपीपी माध्यम से करने हेतु आरएफक्यू दस्तावेज जारी किए ।

(पंकज जैन)	(राजेश भंडारी)	(एस.सुरेश)	(आर.के. श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (सीए एवं सीएस)	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

नई दिल्ली
जनवरी 27, 2015

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सेगमेन्ट रिपोर्ट

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14							2012-13						
	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनिर्धारित	सकल योग	उत्तर	दक्षिण	पश्चिम	पूर्वोत्तर	पूर्व	अनिर्धारित	सकल योग
सेगमेन्ट राजस्व	932.46	2,097.78	1,140.61	112.72	1,093.81	2,634.07	8,011.45	861.79	1,760.90	1,051.52	118.65	766.29	2,208.22	6,767.37
सेगमेन्ट परिणाम														
सेगमेन्ट परिणाम (लाभ/हानि) अनियम लाभ से पूर्व	(102.04)	630.16	280.52	(143.52)	49.42	0.00	714.54	(108.53)	397.15	33.61	(119.00)	(21.10)	0.00	182.13
अनियत निगमित व्यय						899.49	899.49						1,014.69	1,014.69
प्रचालन लाभ	(102.04)	630.16	280.52	(143.52)	49.42	1,734.58	2,449.12	(108.53)	397.15	33.61	(119.00)	(21.10)	1,193.52	1,375.65
ब्याज व्यय	0.00	34.81	0.00	0.00	90.13	29.83	154.77	0.00	0.00	0.23	0.00	3.17	67.13	70.53
ब्याज आय	2.99	3.43	2.19	0.32	1.78	147.88	158.59	6.90	8.96	3.61	0.38	4.08	57.80	81.73
अपवादिक मदें						(67.38)	(67.38)							
कर पूर्व लाभ	(99.05)	598.79	282.70	(143.20)	(38.93)	1,920.00	2,520.31	(101.63)	406.11	36.99	(118.61)	(20.19)	1,184.19	1,386.86
आयकर व्यय/प्रावधान						1,079.25	1,079.25						651.87	651.87
कर बाद लाभ	(99.05)	598.79	282.70	(143.20)	(38.93)	840.75	1,441.06	(101.63)	406.11	36.99	(118.61)	(20.19)	532.32	735.00
अन्य सूचना														
सेगमेन्ट आस्तियां	1,934.10	4,952.66	1,667.88	224.35	3,396.16	0.00	12,175.15	2,263.39	4,514.43	2,006.72	390.30	3,576.36	0.00	12,751.20
अनियत आस्तियां						7,589.95	7,589.95						5,588.41	5,588.41
कुल आस्तियां	1,934.10	4,952.66	1,667.88	224.35	3,396.16	7,589.95	19,765.10	2,263.39	4,514.43	2,006.72	390.30	3,576.36	5,588.41	18,339.61
सेगमेन्ट देनदारियां	384.17	1,016.19	343.92	55.52	1,231.23	0.00	3,031.03	419.01	516.77	336.27	45.02	300.17	0.00	1,617.24
अनयित देनदारियां						6,759.13	6,759.13						7,854.17	7,854.17
कुल देनदारियां	384.17	1,016.19	343.92	55.52	1,231.23	6,759.13	9,790.16	419.01	516.77	336.27	45.02	300.17	7,854.17	9,471.41
पूंजीगत व्यय	252.21	334.20	63.84	29.18	187.41	19.32	886.17	225.45	268.06	186.88	(155.58)	812.07	51.04	1,387.92
गैर नकदी व्यय														
मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि	222.88	484.81	203.86	55.41	375.01	26.66	1,368.63	212.20	469.67	213.51	47.80	233.49	26.94	1,203.61
प्रमुख गैर नकदी व्यय	48.31	22.20	(5.03)	2.22	45.09	22.14	134.93	43.66	(10.97)	154.24	1.00	21.55	25.36	234.84

भारतीय विमानपत्तन

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		2013-2014	2012-2013
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अपवादिक मदों एवं कराधान से पूर्व लाभ	2452.93	1386.87
	इनके लिए समायोजन :		
	मूल्यह्रास, परिशोधन व हानि	1368.65	1203.60
	पूर्व अवधि मूल्यह्रास	(105.19)	(42.74)
	वित्तीय लागत	154.77	70.52
	अन्य विविध मदें	93.14	554.91
	वर्ष के दौरान शुद्ध प्रावधानों हेतु समायोजन	(420.89)	(108.04)
	संदिग्ध ऋणों हेतु संचयित प्रावधानों के लिए समायोजन	62.93	132.69
	सीएसआर आरक्षितों से उपयोग	(6.15)	0.00
	ब्याज से आय	(158.59)	(81.73)
	बेची गई/हटाई गई आस्तियों से शुद्ध (लाभ)	(3.19)	(1.79)
	अपवादिक मदों तथा प्रचालन पूंजीगत बदलाव से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	3438.41	3114.29
	अपवादिक मद–अधिक सुरक्षा प्रावधान बट्टे खाते डाले गए	67.38	0.00
	अन्य प्रचालन आस्तियों में वृद्धि	(147.23)	(525.91)
	प्रचालन देनदारियों में वृद्धि	63.23	275.12
	प्रचालन से प्राप्त नकद	3421.79	2863.50
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (शुद्ध प्रतिदाय)	(664.37)	(868.89)
	प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद–क	**2757.42**	**1994.61**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों/सीडब्ल्यूआईपी/पूंजीगत कार्य में वृद्धि/क्रय	(1316.94)	(1461.52)
	स्थिर आस्तियों के विक्रय/समायोजन से प्राप्ति	4.06	
	3 माह से अधिक बैंक जमा	(1076.83)	0.00
	ब्याज प्राप्त	122.72	18.44
	संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश/निवेश अग्रिम	(7.84)	(9.39)
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद – ख	**(2274.83)**	**(1452.47)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	पूंजीगत अनुदानों के रूप में सरकार से प्राप्तियां	110.55	0.00
	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान	(169.54)	(183.29)
	उधारी का पुनर्भुगतान	(272.31)	(187.15)
	लाभांश का भुगतान	(147.00)	(171.90)
	लाभांश भुगतान पर कर	(24.99)	(27.89)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद – ग	**(503.29)**	**(570.23)**
	नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	(20.70)	(28.09)
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	85.39	113.48
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**64.69**	**85.39**

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स इंडिया द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरण पर अकाउंटिंग स्टैण्डर्ड–3 में उल्लेखित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के अंतर्गत तैयार किया जाता है।
2. कोष्ठक नकद आउटफ्लो/कमी को दर्शाता है।
3. जहां आवश्यक हो वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुर्नसमूहन किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जा सके।
4. वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भुगतान किया कुल कर (₹ 13.81 करोड़ के ब्याज पर टीडीएस सहित) ₹ 678.18 करोड़ था।

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गाँधी भवन,
नई दिल्ली -110003

विषयः- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष **2013-14** के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28(2) के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ ।

कृपया इन लेखाओं व प्रतिवेदन को संसद में पेश करने की तारीख इस कार्यालय को सूचित करें । प्रतिवेदन को संसद में पेश करने के पश्चात पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेजों की 25 प्रतियाँ इस कार्यालय में तथा एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में भिजवाएं ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता०
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

संख्याः RAP/AAI/A/cs/6-16/2013-14/ 130 दिनाँक : 08.06.2015

प्रतिलिपीः-

1. मंत्रालय को जारी किए गए पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, को प्रेषित है । कृपया प्रतिवेदन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 28(2) के अनुसार संसद में पेश होने तक गोपनीय रखा जाए।
2. मंत्रालय को जारी किए गए पत्र के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक नई दिल्ली (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा-III) को उनके पत्र संख्या 451 वा.ले.प.-I/ND-I/AR/AAI/43-14 दिनाँक 04.06.2015 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तथ्यों एवं आँकडों की पुनः जाँच कर ली गई है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

विमलेन्द्र पटवर्धन 8/6/15
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
e-mail : mabNewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994) की धारा 28(2) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2008 के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च 2014 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 51 स्व लेखा इकाईयों के लेखे शामिल है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने ही है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः मान्य लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार की है। इन प्रतिमानों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित तथा निष्पादित करें ताकि हमें इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रुप से गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों तथा प्रकटनों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की परीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाए गए प्रकटनों एवं प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा में युक्तिसंगत आधार पर अपना मत व्यक्त किया है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:–

(i) हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार जो सूचना तथा स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त कर लिए है:

(ii) इन रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट तथा लाभ व हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छ) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए प्रपत्र में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में जहां तक हमारे द्वारा इन लेखा बहीखातों की परीक्षा करने से प्रतीत होता है, प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28(1) के अंतर्गत बताई गई आवश्यकता के अनुसार लेखा बहीखातों एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डो को सही रुप में तैयार करके रखा गया है, सिवाय इसके कि:–

(क) तुलन पत्र

1 इक्युटी एवं देयता

1.1 पूंजी

आरक्षित एवं अधिशेष (नोट सं 3) ₹ 9318.37 करोड़

उपरोक्त में 2013–14 के दौरान गगन परियोजना के अंतिम प्रचालनात्मक चरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 40 करोड़ का पूंजीगत अनुदान इसमें शामिल नहीं है । इस पूंजीगत अनुदान को वर्ष 2013–14 के बजाय वर्ष 2014–15 के बुकों में रखा गया है। इसकी वजह से आरक्षितों व अधिशेष तथा नकद एवं नकद इक्युलेंट्स में ₹ 40 करोड़ कम करके ऑके गए है।

1.2 वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं (नोट सं. 9) ₹ 1340.06 करोड़

उपरोक्त में प्राधिकरण एवं रेथॉन कम्पनी के बीच हुए कंट्रेक्ट के अनुसार 17 अप्रैल 2013 से 16 अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए हार्डवेयर मरम्मत सपोर्ट हेतु भुगतान संबंधी ₹10–38 करोड़ की देयता शामिल नहीं है। इसकी वजह से अन्य वर्तमान देयताओं में 10.38 करोड़ रु. कम करके आंके गए है तथा इस अवधि के लिए इसी राशि के लाभ को ज्यादा करके ऑका गया है ।

(ख) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

सामान्य (नोट सं.49)

हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) से प्राप्त हुआ वार्षिक शुल्क 2013–14 2012–13 एवं 2011–12 में क्रमशः ₹ 1838.06 करोड़, ₹ 1533.16 करोड़ तथा ₹ 704.06 करोड़ था। 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान डायल से प्राप्त लीज राजस्व में वृद्धि का कारण प्रचालन में वृद्धि होना नहीं था बल्कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के आदेशों (अप्रैल 2012) के अनुसार 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान पॉच वर्षों की (2009–14) पहली नियंत्रण अवधि हेतु प्राक्कलित वार्षिक रिटर्न में सम्पूर्ण कमी की वसूली किए जाने की वजह से ऐसा हुआ। चूंकि प्राधिकरण का निगमितीकरण किए जाने की योजना बनाई जा रही है अतः इस संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण (डिस्कोलजर्स) किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) उपरोक्त अनुच्छेदों में की गई अपनी टिप्पणियों के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाई गई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखे, पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(v) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत उक्त वित्तीय विवरण, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा उनके लेखापरीक्षा के अनुबंध – 1 में उल्लिखित अन्य मुद्दों के मद्देनजर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरुप सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक बैलेंस शीट का संबंध है, वह प्राधिकरण के 31 मार्च 2014 के क्रियाकलापों से संबधित है तथा

(ख) जहां तक लाभ–हानि लेखों का संबंध है वर्ष की समाप्ति की तारीख को प्राधिकरण का लाभ दर्शाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए तथा की ओर से

8/6/15

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –1,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08 जून, 2015

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में एक अलग आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा किया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों/हवाई अड्डों पर लेखा परीक्षा हेतु आवश्यकता के आधार पर सनदी लेखाकारों की सेवाएं ली जाती हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान 44 हवाई अड्डों/इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई।

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक आश्वासन प्रदान नहीं करती।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

राशियों की अनुचित बुकिंग, अनुचित दस्तावेजीकरण और रिकार्डिंग, पुराने चेक की अनुचित एकाउंटिंग, बही में अधूरे विवरण, विविध देनदारों से बैलेंस पुष्टीकरण न प्राप्त करना तथा भूमि रिकॉर्डों का अनुचित रखरखाव जैसी कमियां अभी भी विद्यमान हैं, इससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी का पता चलता है।

3. स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

बहुत से हवाई अड्डों/इकाइयों में स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतन नहीं किया गया एवं उचित तरीके से मेन्टेन नहीं किया गया इस कारण से परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन एवं लेखा समाधान में बाधाएं उत्पन्न हुईं ।

4. इंवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इंवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया ।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कर जमा करने में विलंब हुआ इस कारण से प्राधिकरण को दंडस्वरूप ब्याज राशि ₹ 7.89 करोड़ का भुगतान किया गया ।

6. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

2013–14 वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने अपनी लेखा प्रणाली को एस ए पी में परिवर्तित किया । वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान एस ए पी प्रणाली क्रैश हो गई एवं नवंबर 2014 के बाद आंशिक डेटा पुनः स्थापित किया गया। आई टी प्रणाली को सुदृढ किया जाना है एवं बैक अप को मेन्टेन किया जाना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सदस्यगण,

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच की है जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा इसी अवधि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण और लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उप धारा (3ग) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित मामलों के सामान्य परिपत्र से 15/2013 दिनांक 13 सितम्बंर, 2013 के साथ पढें, में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नगद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत आतंरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है, जो सही एवं निष्पक्ष ब्योरा प्रदान करते हैं तथा कपट या त्रुटि के कारण सारवान अशुद्ध वर्णन से मुक्त होते हैं।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीति संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें और इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारवान अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों एवं प्रकटनों के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में सारवान अशुद्ध वर्णन के जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल होता है, चाहे यह कपट के कारण हो या त्रुटि के कारण। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की ऐसी प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं। लेखा परीक्षा में लेखाकरण के लिए प्रयुक्त की गई नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा लेखाकरण के लिए व्यक्त किए गए अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह लेखा परीक्षा के संबंध में अपनी राय प्रस्तुत करने का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें उपलब्ध कराये गए स्पष्टीकरणों के अनुसरण में, वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में आम तौर पर लेखाकरण के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित का सही एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रदान करते हैं :

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति का;

(ख) लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि का; और

(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का।

अन्य वैधानिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) को ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार, हम इस आदेश के पैरा 4 एवं 5 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

1. हम यह भी सूचित करते हैं कि :

   i. कंपनी द्वारा भूमि एवं चारदीवारी की लागत को पूंजीकृत नहीं किया गया है। कृपया लेखाओं के अंग के रूप में संलग्न नोट की टिप्पणी संख्या 12 एवं 13 देखें।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बही रखी गई है, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) साथ में पढ़ें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित मामलों के मंत्रालय के सामान्य आदेश 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं; एवं

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 की परिभाषा के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते इस कंपनी पर विधि, न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवीवी सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22 मार्च, 2002 के जरिये उक्त अधिनियम की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(च) चूंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अंतर्गत भुगतान किये जाने वाले उपकर की दर के संबंध में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और न ही इसने उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे उपकर के भुगतान के ढंग को निर्धारित करने के लिए कोई नियमावली जारी की है, इसलिए कंपनी द्वारा कोई उपकर न तो देय है और न ही संदेय।

कृते **बी. एस. साहनी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 008241एन

सी ए एस सांतान कृष्णन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 513245
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक :

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण के उचित रिकार्ड को मेन्टेन किया है।

(ख) जैसा हमें विवरण दिया गया है स्थिर सम्पत्तियों का उचित अंतराल के बाद प्रबंधन ने प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। ऐसे सत्यापन में कोई सामग्री विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमारी राय के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का बड़ा हिस्सा नहीं बेचा गया है अतः इससे गोइंग कंसर्न की धारणा प्रभावित नहीं होती है।

(ii) वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी की कोई इंवेंटरी नहीं है, इसलिए प्रबंधन द्वारा कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया तथा कोई इंवेंटरी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया तथा इंवेंटरी के उप पैरा (ii ख एवं ii ग) लागू नहीं होते हैं।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर के तहत शामिल कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पक्षकारों से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर के तहत शामिल कंपनियों, फर्मों एवं अन्य पक्षकारों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसलिए उप पैरा (iii ख एवं iii ग) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रक्रिया है।

(v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्ट्रार में जिस लेनदेन को दर्ज करने की जरूरत है उन्हें दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अपने व्यवसाय का प्रचालन शुरू नहीं किया है। इसलिए उप पैरा (V ख) लागू नहीं होता है।

(vi) कंपनी ने आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(vii) हमारी राय में, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने अपने व्यवसाय का प्रचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(viii) केंद्र सरकार ने कंपनी की विनिर्माण की कतिपय गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के तहत लागत रिकार्ड अनुरक्षित करने का निर्धारण किया है। हमने इस सिलसिले में कंपनी के रिकार्डों एवं लेखाओं की मोटे तौर पर समीक्षा की है तथा हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा एवं रिकार्ड इसलिए तैयार एवं अनुरक्षित नहीं किये गए हैं क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अपने व्यवसाय का प्रचालन नहीं शुरू किया है।

(ix) कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अपने व्यवसाय का प्रचालन नहीं शुरू किया है, इसलिए समुचित प्राधिकारियों के पास कोई अविवादित सांविधिक देय नहीं है जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर तथा धनकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क , सेवा कर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक देय शामिल हैं। अतः पैरा (ix ख एवं ix ग) लागू नहीं होते है।

(x) वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि कंपनी के निवल मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है और रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल अवधि के दौरान तथा रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल अवधि से ठीक पहले के वित्त वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है। कंपनी ने अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है।

(xi) कंपनी ने वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक को देय राशि की पुनः अदायगी करने में कोई चूक नहीं की है।

(xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।

(xiii) कंपनी कोई चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनिफिट/सोसायटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xiv) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य लिखतों का कामकाज नहीं करती है अथवा उनका व्यापार नहीं करती है। तदनुसार, कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

(xvii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने अल्प अवधि के आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रयोग दीर्घ अवधि के निवेश के लिए नहीं किया है तथा दीर्घ अवधि के आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रयोग अल्प अवधि के निवेश के लिए नहीं किया है।

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(xviii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पक्षकारों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई तरजीही आबंटन नहीं किया है।

(xix) हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(xx) कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xxi) हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के क्रम में कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी धोखे को नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

कृते **बी एस साहनी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 008241 एन

सी ए एस सांतान कृष्णन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या : 513245

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

एफ–249 (भूतल), नया राजेंद्र नगर, नई दिल्ली–110060
फोन (कार्यालय) : 45082854, 28743598 फैक्स : 28743887

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी एवं देयताएं			
(1) शेयरधारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	100,000,000	100,000,000
(ख) रिजर्व एवं अधिशेष			
(ग) शेयर वारंट के रूप में प्राप्त धन			
(2) रिजर्व एवं अधिशेष	3	4,293,415	–
(3) वर्तमान से भिन्न देयताएं			
(क) दीर्घ अवधि के ऋण			
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
(ग) दीर्घ अवधि की अन्य देयताएं			
(घ) दीर्घ अवधि के प्रावधान			
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्प अवधि के ऋण			
(ख) संदेय व्यापार			
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	4	39,173	107,282
(घ) अल्प अवधि के प्रावधान	5	1,919,920	–
कुल		**106,252,508**	**100,107,282**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) वर्तमान से भिन्न परिसम्पत्तियां			
(क) अचल परिसम्पत्तियां			
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां	6	128,279	–
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां			
(iii) चल रहे पूंजी कार्य			
(iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां			
(ख) वर्तमान से भिन्न निवेश			
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)			
(घ) दीर्घ अवधि के ऋण एवं अग्रिम			
(ङ) वर्तमान से भिन्न अन्य परिसंपत्तियां	7	1,878,222	1,612,341
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वर्तमान निवेश			
(ख) इंवेंटरी			
(ग) प्राप्य व्यापार			
(घ) नकद एवं नकद समतुल्य	8	100,291,524	98,494,941
(ङ) अल्प अवधि के ऋण एवं अग्रिम	9	3,954,483	
(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(3) लाभ एवं हानि			
(क) हानि			
कुल		**106,252,508**	**100,107,282**

ऊपर उल्लिखित अनुसूची एवं लेखे के नोट्स तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

कृते बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता/–
सी ए एस सांतान कृष्णन
सांझेदार
सदस्यता संख्या : 513245
एफआरएन : 008241एन
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
एस. रहेजा
अध्यक्ष

हस्ता/–
एस. सुरेश
निदेशक

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालनों से राजस्व		–	–
II. अन्य आय	10	6,213,335	–
III. **III कुल राजस्व (I + II)**		6,213,335	–
IV. **व्यय :**			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत			
स्टाक इन ट्रेड का क्रय			
समाप्त माल की इंवेंटरी में परिवर्तन, चल रहे कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड			
कर्मचारी कल्याण व्यय			
वित्तीय लागतें			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय			
अन्य व्यय			
कुल व्यय			
V. आपवादिक एवं असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III – IV)		6,213,335	–
VI. आपवादिक मदें			
VII. असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V – VI)		6,213,335	–
VIII. असाधारण मदें			
IX. कर पूर्व लाभ/(हानि) (VII – VIII)		6,213,335	–
X. कर व्यय :			
(1) वर्तमान कर		1,919,920	–
(2) आस्थगित कर			
XI. सतत प्रचालन की अवधि से लाभ/(हानि)		4,293,415	–
XII. समाप्त प्रचालन से लाभ/(हानि)			
XIII. समाप्त प्रचालन का कर व्यय			
XIV. डिस्काउंटिंग आपरेशन से लाभ/(हानि)(–)			
XV. अवधि के लिए लाभ/(हानि)(+)		4,293,415	–
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :			
1. बेसिक			
2. डायल्युटिड			

ऊपर उल्लिखित अनुसूची एवं लेखे के नोट्स तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

हस्ता/–
सीएएस सांतान कृष्णन
सांझेदार
सदस्यता संख्या : 51345
एफआरएन : 008241एन
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

हस्ता/–
एस. रहेजा
अध्यक्ष

हस्ता/–
एस. सुरेश
निदेशक

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
प्रचालन की गतिविधियों से नकद प्रवाह	—	—
कर पश्चात लाभ	**4,293,415**	—
प्रचालन की गतिविधियों द्वारा प्रदत्त नकद में कर	—	—
पूर्व लाभ का सामंजस्य स्थापित करने के लिए समायोजन	—	—
जोड़ें :	—	—
आयकर के लिए प्रावधान	1,919,920	—
उप जोड़	**6,213,335**	—
घटाएं :	—	—
विविध आय — परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	—
उप जोड़	—	—
समायोजन के पश्चात किन्तु आयकर से पूर्व तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के बाद लाभ	**6,213,335**	—
असाधारण मदों के लिए समायोजन	—	—
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	(2,652,483)	—
वर्तमान से भिन्न अन्य परिसंपत्तियां	(265,881)	(172,161)
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	(47,645)	(1,332,898)
समायोजन के पश्चात किंतु आयकर पूर्व लाभ	**(3,247,326)**	**(1,505,059)**
वर्ष के दौरान संदत्त कर	—	—
आयकर	**1,302,000**	—
आयकर के समायोजन के बाद नकद प्रवाह	—	—
प्रचालन की गतिविधियों से सृजित नकद प्रवाह	**(1,945,326)**	**(1,505,059)**
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह	—	—
शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम	—	—
शेयर पूंजी	—	100,000,000
संदत्त लाभांश कर	—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	—	100,000,000
निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह	—	—
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	(148,743)	—
निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	(148,743)	—
वर्ष के दौरान नकद एवं नकद समतुल्य में निवल (गिरावट)/वृद्धि (क+ख+ग)	**1,796,583**	**98,494,941**
नकद का प्रारंभिक अधिशेष	**98,494,941**	—
नकद का क्लोजिंग अधिशेष	**100,291,524**	**98,494,941**

हस्ता/—
सीएएस सांतान कृष्णन
सांझेदार
सदस्यता संख्या : 51345
एफआरएन : 008241एन
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

हस्ता/—
एस. रहेजा
अध्यक्ष

हस्ता/—
एस. सुरेश
निदेशक

टिप्पणी 01

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए

लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियां

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियां इस प्रकार हैं :

क. लेखाकरण का आधार

वास्तविक आधार पर मान्य किए गए राजस्व तथा हिसाब में लिए गए व्यय के साथ सतत सरोकार के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।

ख. अचल परिसंपत्तियां

(i) अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण, अधिष्ठापन तथा प्रचालन से संबंधित लागत, जिसमें अन्य व्यय भी शामिल हैं, पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) कंपनी की पूंजीकरण नीति के अनुसार पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) ऐसी सभी परियोजनाओं को परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन माह बाद पूंजीकृत किया जाता है जिन्हें पूरा किया गया है किंतु प्रयोग में नहीं लिया जा सका है।

(iv) कार्यों/परियोजनाओं के आंशिक रूप से पूरा होने तथा प्रयोग में लाये जाने को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(v) ऐसे व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है जिन्हें कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा नहीं दर्शाया जाता है।

(vi) परित्यक्त निर्माण कार्यों के मामले में परियोजना पूर्व व्यय तथा समय से पहले बंद एवं परित्यक्त निर्माण कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(vii) जिन अचल परिसंपत्तियों का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गया है उन्हें ₹ 1 के अवशिष्ट मूल्य पर दर्शाया जाता है।

(viii) राज्य सरकार से मुफ्त में अधिग्रहित किसी गैर मौद्रिक परिसंपत्ति को प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति के लिए ₹ 1 के मामूली मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ix) जब भी भूमि बेची जाती है / हस्तांतरित की जाती है / निस्तारित की जाती है तथा ऐसी भूमि का विशिष्ट मूल्य उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इसे मुफ्त में अधिग्रहित किया जाता है, अधिग्रहण की औसत लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

(x) पूंजी परियोजनाओं का काम देखने वाले अन्य परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को निर्माण कार्य पूरा होने की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

(xi) अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे कि साफ्टवेयर जिनसे भविष्य में स्थाई आर्थिक लाभ प्रदान करने की उम्मीद होती है, को 5 वर्ष की अवधि में पंजीकृत किया जाता है तथा परिशोधित किया जाता है।

ग. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर व्यक्त किया जाता है।

घ. मूल्यह्रास

(i) अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची में उल्लिखित दर से स्ट्रेट लाइन मेथड पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि पर मूल्यह्रास को पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्ति के निस्तारण के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(iv) ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी वास्तविक लागत ₹ 5000 से अधिक नही है का मूल्यह्रास 100% की दर से किया गया है।

ङ. ऋणी

सरकारी विभागों से भिन्न पक्षकारों से वसूली के योग्य 2 साल से अधिक पुराने ऋण को संदिग्ध माना जाता है तथा इसके लिए प्रावधान किया जाता है। जिन मामलों में इन्हे पंचाट/वाद के पास संदर्भित किया गया है / विवादित हैं, लेखाओं में इस बात पर ध्यान दिए बगैर आवश्यक प्रावधान किया जाता है कि ऋण की अवधि कितनी है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय उपलब्ध प्रतिभूति जमा पर विचार नहीं किया गया है।

(च) स्टोर / स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपभोग किए गए स्टाक / स्पेयर को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(ii) वर्ष के स्टाक (ऐसे स्टोर / स्पेयर को छोड़कर जिनकी यूनिट लागत ₹ 5000 या इससे कम होती है) को प्राप्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एफआईएफओ आधार पर लागत कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है। इसके पश्चात मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

6वां वर्ष	–	लागत का 70 प्रतिशत
7वां वर्ष	–	लागत का 40 प्रतिशत
8वां वर्ष तथा इससे आगे	–	लागत का 10 प्रतिशत

(iii) स्टोर / स्पेयर के जिस स्टाक का उपभोग नहीं होता है उसे लागत के 10 प्रतिशत पर मूल्यांकित किया जाता है।

छ. अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करारों के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकारी एवं विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान / सब्सिडी को कैपिटल रिजर्व प्रपोर्सनेट के रूप में माना जाता है। मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान की राशि पर मूल्यह्रास को ऐसी परिसम्पत्तियों के उपयोगी कार्यकाल में आय के रूप में मान्य किया जाता है।

ज. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

(i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखाकृत किया जाता है।

(ii) तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों एवं ऋणों / देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया जाता है, केवल विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता में शेष को छोड़कर जिसे ऐसे खाते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से लेखाकृत किया जाता है।

झ. राजस्व की मान्यता

(i) राजस्व को मान्य किया जाता है क्योंकि सेवाएं प्रोद्भवन आधार पर प्रदान की जाती हैं तथा यह निवल सेवाकर होता है।

(ii) बिल उस समय तथा इस सीमा तक तैयार किए जाते हैं कि इसकी मापेयता एवं अंतिम वसूली को लेकर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चतता नहीं होती है।

ञ. आयकर

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।

ट. आस्थगित कर

बही एवं कर योग्य लाभ के बीच 'समय संबंधी अंतर' से उत्पन्न आस्थगित कर को कर की ऐसी दरों एवं कानूनों का प्रयोग करके लेखाकृत किया जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर की परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है तथा केवल उस हद तक अग्रनीत किया जाता है जिस हद तक इस बारे में तर्कसंगत निश्चितता होती है कि भविष्य में परिसंपत्ति को वसूला जाएगा।

ठ. परिसंपत्तियों का ह्रास

यह देखने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है कि क्योंकि आंतरिक / बाह्य कारकों के आधार पर पंगुता का कोई संकेत है। पंगुता क्षति को वहां मान्य किया जाता है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

ड सेवानिवृत्ति

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए उपदान, अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन छुट्टी, चिकित्सा लाभ तथा पात्रता लाभ का प्रावधान प्रोद्भवन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ढ अन्य

(i) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विशिष्ट रिजर्व संबंधी दिशा निर्देशों के उपयोग के अनुसार विशिष्ट रिजर्व का उपयोग किया जाता है।

(ii) 3 साल से अधिक पुराने तथा दावा न किए गए ई एम डी / प्रतिभूति जमा को विविध आय के रूप में माना जाता है।

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार राशि	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार राशि
टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी		
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
2,00,000,000 (पिछले वर्ष– 2,00,000,000)	1200,00,00,000	200,000,000
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(ख) सब्सक्राइब किए गए इश्यू तथा संदत शेयर पूंजी		
1,00,000,000 (पिछले वर्ष– 1,00,000,000) ₹ 10 प्रत्येक	100,000,000	100,000,000
के इक्विटी शेयर		
कुल	100,000,000	100,000,000
(ग) समकक्ष मूल्य	10	10
(घ बकाया शेयरों का सामंजस्य		
ओपनिंग	-	-
निर्गत एवं आबंटित	-	-
क्लोजिंग	-	-
(ड) लाभांश का वितरण तथा पूंजी की पुनः अदायगी सहित		
कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है		
(च होल्डिंग कंपनियों आदि द्वारा धारित शेयर		
(छ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की सूची		
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	51,000,000	51,000,000
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलेपमैंट अथारिटी (जीएमएडीए)	24,500,000	24,500,000
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)	24,500,000	24,500,000
(ज) आप्शन के अंतर्गत इश्यू के लिए आरक्षित शेयर		
(झ) तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले की 5 वर्ष की अवधि के लिए		
* निम्नलिखित के संबंध में पूर्णतः संदत्त आबंटित शेयर	शून्य	शून्य
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर		
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2008–09	-	-
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2009–10	-	-
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2010–11	-	-
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2011–12	-	-
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2012–13	-	-
* पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर के रूप में आबंटित शेयर : 2013–14	-	-
* वापस खरीदे गए शेयर	शून्य	शून्य
(ञ) इक्विटी/तरजीही शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति नहीं है	शून्य	शून्य
(ट) असंदत्त काल्स	शून्य	शून्य
टिप्पणी संख्या 3 : रिजर्व एवं अधिशेष		
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
वर्ष के लिए लाभ	**4,293,415**	-
III कुल राजस्व (I-II)	4,293,415	-
टिप्पणी संख्या 4 : अन्य वर्तमान देयताएं		
(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संदेय प्रारंभिक व्यय	-	40,766
(2) उत्पाद शुल्क एवं कर (टी डी एस)	-	3,595
(3) परामर्शदाता को संदेय व्यावसायिक प्रभार	12,283	40,449
(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों को संदेय लेखा परीक्षा शुल्क	25,590	22,472
(5) संचित मूल्यह्रास	-	-
(6) देय टेलीफोन बिल	1300	-
कुल	**39,173**	**107,282**
टिप्पणी सं0 5 लघु अवधि प्रावधान		
कर के लिए प्रावधान	**1,919,920**	-
कुल	**1,919,920**	-

टिप्पणी सं. 6 अचल परिसम्पत्तियां

मद		सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	मूल्यह्रास की दर	01.04.2013 को	वर्ष के दौरान खरीदे गए	वर्ष के दौरान बेचे गए	31.03.2014 को	01.04.2013 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2014 तक कुल	31.03.2014 को	31.03.2013 को
फर्नीचर एवं फिक्सचर	20%	-	91,343	-	91,343	-	9,144	-	9,144	82,199	-
कम्प्यूटर लैपटाप/ प्रिन्टर	20%	-	57,400	-	57,400	-	11,320	-	11,320	46,080	-
कुल	-	-	148,743	-	148,743	-	20,464	-	20,464	128,279	-

टिप्पणी संख्या 7 : वर्तमान से भिन्न अन्य परिसंपत्तियां		
प्रारंभिक व्यय	**1,395,236**	**1,395,236**
प्रचालन पूर्व व्यय		
(1) लेखा परीक्षा शुल्क	93,506	67,416
(2) बैंक प्रभार	550	875
(3) अन्य व्यय	3,212	212
(4) व्यावसायिक प्रभार	303,368	141,572
(5) टीए/डीए व्यय	2,915	1,430
(6) आरओसी दाखिल करने का शुल्क	26,300	5,600
(7) टेलीफोन व्यय	10,611	–
(8) प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	3,095	–
(9) होटल एवं बोर्डिंग	4,379	–
(10) मनोरंजन	1,325	–
(11) मूल्यह्रास	20,464	–
(12) बोर्ड बैठक व्यय	11,261	–
कुल	**1,878,222**	**1,612,341**
टिप्पणी संख्या 8 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां		
(1) स्टेट बैंक आफ पटियाला, चंडीगढ़ में अधिशेष(चालू खाता)	391,854	98,494,941
(2) स्टेट बैंक आफ पटियाला में एसटीडीआर	99899660	–
कुल	**100291524**	**98,494,941**
टिप्पणी संख्या 9 : लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम		
(1) एसटीडीआर पर प्रोदभुत ब्याज	2031142	–
(2) अग्रिम आयकर	1302000	–
(3) सीएचआईएएल की ओर से टीडीएस जमा किया गया	621341	–
कुल	**3954483**	–
टिप्पणी संख्या 10 : अन्य आय		
(1) एफडीआर पर व्यय	6213335	–
कुल राजस्व	**6213335**	–

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए

अन्य टिप्पणियां

11. चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जीएमएडीए के माध्यम से पंजाब सरकार और हुडा के माध्यम से हरियाणा सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिनकी इस कंपनी में कुल शेयर होल्डिंग 51:24.5:24.5 के अनुपात में है।

12. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार जीएमएडीए के माध्यम से पंजाब सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी को 306 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। जीएमएडीए से संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम में उक्त भूमि हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है तथा जीएमएडीए संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम में उक्त भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है।

13. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मोहाली की तरफ में नव अधिग्रहित भूमि पर सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नये एकीकृत यात्री टर्मिनल का निर्माण कर रहा है। इस कार्य का ठेका जुलाई 2012 में दिया गया तथा नया टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सीवे आदि से युक्त संपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख मार्च, 2015 है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹ 452 करोड़ है जिसमें चारदीवारी की लागत शामिल नहीं है। इस परियोजना में चारदीवारी की लागत (लगभग ₹ 2.16 करोड़) समेत अवसंरचना की लागत को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी में गिना जाएगा जबकि भूमि की लागत लगभग ₹ 460.88 करोड़ को इस परियोजना में जीएमडीए और हुडा की इक्विटी में गिना जाएगा।

    कंपनी की बोर्ड बैठकों में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के निदेशक मंडल को परियोजना की प्रगति के बारे में अवगत कराया जाता है।

14. प्रतिबद्धता : पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदा की अनुमानित राशि शून्य है।

कृते बी एस साहनी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
हस्ता /–
सी ए एस सांतान कृष्णन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513245
एफ.आर.एन. : 008241एन
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 मई, 2014

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता /–	हस्ता /–
एस. रहेजा	एस. सुरेश
अध्यक्ष	निदेशक

संख्या / No. 9AP/AAI/Accounts/6-8/2012-13/344

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनाँक/Dated 29/8/2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कमरा नं०- 1, प्रोजेक्ट ऑफिस बिल्डिंग,,
चण्डीगढ एयरपोर्ट,
चण्डीगढ 160 003

विषय : कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के आधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के आधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चण्डीगढ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ । इन **शून्य टिप्पणियों** को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है ।

भवदीय,

संलग्न :शून्य टिप्पणियाँ

29/8/14
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
e-mail : mabNewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी इस कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय अर्थात भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य 19 मई, 2014 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए संपन्न किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के अध्ययन किए बिना स्वतंत्र रूप से एवं सांविधिक लेखा परीक्षाओं तथा कम्पनी कार्मिकों से सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुल लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षा द्वारा की गई। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान के अनुसार ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं पाई जिसके ऊपर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए ।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

हस्ता/-
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक, वाणज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अगस्त 2014

चंडीगढ़ हवाई अड्डा

गोवा हवाई अड्डा

रायपुर हवाई अड्डा

मंगलोर हवाई अड्डा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

निगमित कार्यालय : राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003
www.aai.aero